पंजीयन संख्या : 68939/98 अंक - 23, वर्ष 24

ज्ञान तत्त्व

बजरंग मुनि

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान

ज्ञान यज्ञ परिवार

MARGDARSHAK

461

सत्यता और निष्पक्षता का निर्भीक पाक्षिक

सम्पादक : बजरंग लाल अग्रवाल रामानुजगंज (छ.ग.)

पोस्ट की तारीख : 15-12-2024

प्रकाशन की तारीख : 01-12-2024

पाक्षिक मूल्य - /- (रूपये मात्र)

अनुक्रमणिका

भारतीय संविधान कितना सफल कितना असफल

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख

१.विचार और संस्कार का हिन्दुत्ववादी संतुलन:
२.संविधान दिवस के बहाने एक विमर्श:
तंत्र मुक्त संविधान एक मात्र समाधान:
३.भारत के शानदार अर्थव्यवस्था की राह इतनी आसान नहीं थी:
४.नेहरु, परिवार वाले या संविधान सभा के, किस संविधान को सर्वाच्च मानें:
५.राहुल गाँधी ही हैं, नरेन्द्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत:
६.खोखले आदर्शों पर खड़ी समाज और कानून व्यवस्था एक सामाजिक बुराई:
७.क्या राहुल गाँधी का मंतव्य है कि मोदी सरकार लोकतान्त्रिक है?:
८.नारों का सामाजिक एकता का प्रयोग:
९.हमेशा पुलिस को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं:
१०.महिला और पुरुष के बीच अंतर्संबंधों पर निर्णायक कौन?:
११.आर्थिक असमानता के शोर में राजनैतिक असमानता की बात:
१२.पैसा बांटने और पैसा लेने वालों के बीच चुनाव:
१३.प्रतिस्पर्धाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष हों यह तंत्र की जिम्मेदारी:
१४.विश्व पुरुष दिवस पर:
१५.राहुल गाँधी की झूठे की बनती छवी:
१६.सरकारें भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कानून बना रही न की रोकने के लिए:
१७.कृत्रिम उर्जा का मूल्य सस्ता रख प्रदुषण पर चिंता बेमानी:
१८.राहुल गाँधी के लाल किताब के अन्दर कांग्रेसी कुकर्मों के स्याह पन्ने:
१९.पता नहीं कब सरकारे अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देंगी:
२०. इन्हें राजनीति के मंथरा जैसी कुटनी क्यों न कहें:
२१. अनैतिक परिवेश में खोती जा रही सामाजिक शांति:
२२. आखिर भारत का मुसलमान चाहता क्या है?:
२३. गज़ब कानून तोड़ने वालों के साथ कथित संविधान रक्षक:
२४. सामाजिक समस्यायों का हो सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समाधान:
२५. कुंदरकी विधानसभा से मिले बदलाव के संकेत ने बदली राजनीति की बयार:
२६. हमें विश्वामित्र की भूमिका निभानी होगी:
२७. मुस्लिम वोट बैंक का उपयोग करने वालों का हो सामाजिक बहिष्कार:
२८. व्यवस्था की गलतियों को समाज के सर मढ़ने की कोशिश:
२९. राजनीति में मुर्ख का संचालन धूर्त करते हैं:
३०. तंत्र मुक्त संविधान हमारा सैद्धांतिक लक्ष्य:
३१. धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर एकजुट होना गलत:
३२. राहुल गाँधी और पुतिन की धमकियों का कोई अस्तित्व नहीं:
३३. संवैधानिक व्यवस्था पर भी चिंता करने की जरूरत:
३४. सत्य संभाषण को दुरुह बनाती राजनीतिक व्यवस्था:
३५. मेरे जीवन का आदर्श:
३६. पक्षपात रहित होने का अर्थ है वर्ग समन्वय:
३७. पत्रोत्तर-

३८. ज़ूम पर होने वाले 'चर्चा' कार्यक्रम से :

1. भारतीय संविधान कितना सफल कितना असफल

व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता और सहजीवन के तालमेल की प्रक्रिया समाजशास्त्र मानी जाती है। धीरे-धीरे यह प्रक्रिया रूढ़ होकर विकृत हो जाती है। तब इस प्रक्रिया में बदलाव समाज विज्ञान होता है। समाज विज्ञान जो निष्कर्ष निकालता है वह फिर से समाजशास्त्र बन जाता है। व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता की सुरक्षा के दायित्व पूरे करने के लिए समाज एक मैनेजर नियुक्त करता है जिसे हम तंत्र कहते हैं। दूसरी ओर सहजीवन की मजबूरी का प्रशिक्षण निरंतर देने वाली प्रक्रिया को हम धर्म कहते हैं। तंत्र को शक्ति समाज के द्वारा प्राप्त होती है और उस शक्ति की अंतिम सीमाएं क्या होंगी वह सीमाएं समाज तय करता है और उन सीमाओं को ही संविधान कहा जाता है। इस तरह संविधान की सबसे अच्छी परिभाषा यह होनी चाहिए कि तंत्र के अधिकतम और लोक के न्यूनतम अधिकारों की अंतिम सीमाएं निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान माना जाना चाहिए। तंत्र संविधान की सीमाओं के अंतर्गत कानून बनाता है इस तरह तंत्र की न्यूनतम और व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमा कानून तय करता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में तंत्र या संविधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सीमा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

संविधान तंत्र को जिस तरीके से शासन चलाने की पद्धति बताता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के आपसी तालमेल से व्यक्ति पर शासन करता है। यह आवश्यक है कि लोकतंत्र की इन तीनों इकाइयों में 'चेक एंड बैलेंस' हमेशा बना रहे।

वैसे तो समाज की हर इकाई का अपना-अपना संविधान हो सकता है और राष्ट्र भी हमारे समाज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है, लेकिन राष्ट्र हमारी वर्तमान व्यवस्था की अंतिम इकाई होने के कारण हम राष्ट्रीय संविधान तक अपनी चर्चा को सीमित कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारी संविधान सभा ने एक संविधान बनाकर तंत्र को तदनुसार कार्य करने का निर्देश दिया था। अब 75 वर्ष के बाद यह समीक्षा करने का उचित अवसर है कि हमारा संविधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और तंत्र की उद्दंडता पर नियंत्रण करने में किस सीमा तक सफल रहा और यदि असफल हुआ तो उसके कारण क्या थे?मैं मानता हूँ कि भारत का लोकतंत्र दक्षिण एशिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की तुलना में कई गुना अधिक सफल रहा है। किंतु मैं यह भी मानता हूँ कि भारत का लोकतंत्र व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और तंत्र पर संवैधानिक नियंत्रण करने में असफल रहा है। वर्तमान भारत में जिस तरह न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति की छीना-झपटी दिखाई रही है उसे रोकने में हमारा संविधान कहीं न कहीं असफल हो रहा है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर भी अपराधियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, मिलावट, कम तौलना, जालसाजी, धोखाधड़ी, हिंसा, बल प्रयोग, आतंकवाद जैसी अनेक आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और हमारा तंत्र इन्हें रोकने में सफल नहीं हो रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक अपराधियों से भी भयभीत है और तंत्र के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से भी। लेकिन अपराधी तत्व न समाज से डर रहे हैं न कानून से। इसलिए यह गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया कि हमारा संविधान अपने प्रमुख कार्य में असफल क्यों हुआ?

यदि इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाए तो संविधान बनाते समय कुछ ऐसी कमियां रह गयीं जिनका परिणाम आज दिख रहा है। संविधान से परिवार और गांव की व्यवस्था को निकाल कर धर्म और जाति को संवैधानिक अधिकार दे देना मेरे विचार से एक गलती थी। संविधान को पूरा पढ़ने के बाद यह भी स्पष्ट हुआ कि संविधान की भाषा अनेक स्थानों पर द्विअर्थी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी किसी एक अर्थ पर निश्चित सहमति नहीं व्यक्त कर पाते। ऐसा लगता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और व्यवस्था होती तो शायद अर्थ बदल जाता। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में प्रारंभ में सैद्धांतिक पक्ष लिखकर बाद में परंतु लगाकर उसके पूरे अर्थ को उलट दिया गया, यह भी एक गंभीर गलती थी। इसके कारण अनेक कंट्राडिक्शन पैदा हुए। इसी तरह संविधान को वर्ग समन्वय की दिशा में जाना चाहिए था लेकिन संविधान वर्ग विद्वेष की दिशा में बढ़ता गया। संविधान को समाज का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए था और तंत्र को समाज का मैनेजर मानना चाहिए था, लेकिन संविधान ने तंत्र को कस्टोडियन घोषित कर दिया। इस तरह और भी अनेक छोटी-छोटी विसंगतियां हो सकती हैं जिनकी चर्चा आवश्यक नहीं है।

मुख्य प्रश्न यह है कि संविधान के प्रमुख दुष्परिणामों का प्रभाव कब से शुरू हुआ? यदि आप संविधान के मौलिक स्वरूप पर विचार करेंगे तो संविधान बनाते समय संविधान के मूल तत्व को कायम रखा गया था। उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। संविधान बनने के बाद जब संविधान सभा भंग की गई और संविधान सभा की भूमिका संसद को दी गई, तब भी संविधान सभा का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित था। संसद संविधान के संशोधन के लिए अंतिम रूप से अधिकृत नहीं थी, लेकिन हमारे राजनेताओं ने सन 1971 में यह संशोधन करके राष्ट्रपति के निर्णय का अंतिम अधिकार भी छीन लिया। संविधान बनाते समय संविधान सभा ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की समान और स्वतंत्र भूमिका निर्धारित की थी, लेकिन हमारी विधायिका ने संविधान लागू होने के 1 वर्ष के बाद ही न्यायपालिका के ये स्वतंत्र अधिकार छीन लिए। यहां तक कि हमारी संविधान सभा ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संसदीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा था, लेकिन हमारी संसद ने बाद में मौलिक अधिकारों में भी बदलाव का अधिकार अपने पास ले लिया। हमारे मूल संविधान में ये तीन ऐसे संशोधन किए गए, जिनके कारण अधिकारों की छीना-झपटी शुरू हुई। न्यायपालिका ने तो 1973 में अपने को संसद से भी ऊपर घोषित कर दिया और उसके कारण न्यायपालिका, विधायिका के बीच अप्रत्यक्ष टकराव शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है।

इस तरह हम यह कह सकते हैं कि हमारे मौलिक संविधान की कुछ कमियों को दूर करने के स्थान पर हमारे राजनेताओं ने कुछ बड़ी-बड़ी गलतियां कर दीं जिनके कारण हमारा संविधान तंत्र को निर्देशित करने अथवा नियंत्रित करने में असफल हो गया। संविधान की असफलता का प्रभाव हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ा जिसके कारण हमारे अपराधी तत्व उद्दंड होते चले गए। यह उद्दंडता व्यक्तियों के स्वभाव में किसी व्यक्तिगत या सामाजिक बुराई का परिणाम नहीं है बल्कि यह उद्दंडता हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आई कुछ बुराइयों का परिणाम है।

इस संबंध में हमें समाधान पर भी विचार करना होगा। कोई नए संविधान का प्रस्ताव वर्तमान समय में संभव नहीं है, न ही संविधान में कोई मौलिक संशोधन की बात सोची जा सकती है, लेकिन वर्तमान स्थिति को इसी तरह चलने देना भी उचित नहीं है। इसलिए मेरा इस संबंध में यह सुझाव है कि संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार सिर्फ तंत्र के पास न होकर उसमें किसी अन्य ऐसी इकाई का भी योगदान आवश्यक है जो समाज द्वारा सिर्फ इसी कार्य के लिए बनाई जाए। ऐसी इकाई कोई संविधान सभा भी मानी जा सकती है। जिला सभाओं के अध्यक्षों के समूह को भी माना जा सकता है। राष्ट्रपति को भी यह अंतिम अधिकार दिया जा सकता है अथवा कोई और नया तरीका खोजा जा सकता है जो तंत्र के हस्तक्षेप से मुक्त हो। मैं यह कह सकता हूँ कि भारत में लोक की सुरक्षा का दायित्व संविधान का है और संविधान को तंत्र मुक्त होना चाहिए।

सुप्रसिद्ध मौलिक विचारक बजरंग मुनि

विविध विषयों पर मुनि जी के लेख

1. विचार और संस्कार का हिन्दुत्ववादी संतुलनः

भारत का यह इतिहास रहा है कि भारत ने विचारधारा को आधार बनाकर दुनिया का निरंतर नेतृत्व किया है और राष्ट्रीयता के आधार पर भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। हिंदुत्व हमारी विचारधारा भी है और जीवन पद्धति भी है। हिंदुत्व के आधार पर ही हम इतना आगे बढ़ सके। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान रही है, हमारी 'वर्ण व्यवस्था'। दुनिया में कहीं भी वर्ण व्यवस्था का वैसा अस्तित्व नहीं है, जैसा भारत में है, यह वर्ण व्यवस्था ही हिंदुत्व और भारत की जान और पहचान रही है। वर्ण व्यवस्था में हम सुरक्षा और विस्तार का संतुलन बनाते हैं, विचार और संस्कार का संतुलन बनाते हैं। जब से हमारी वर्ण व्यवस्था छिन्न-भिन्न हुई, हमारा संतुलन बिगड़ा, हमारे अंदर वैचारिक शक्ति कमजोर हुई, उसका यह परिणाम हुआ कि हम असुरक्षित भी हो गए। अब भारत स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्रता के बाद हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम वैचारिक और संस्कृति दोनों धनात्मकों पर संतुलन बनाकर आगे बढ़े। विचार हमें दुनिया में हिंदुत्व के विस्तार में मदद करेगा, संस्कार हिंदुत्व की सुरक्षा में मदद करेगा। दुर्भाग्य से हम हिंदुत्व की सुरक्षा की तरफ ज्यादा चिंतित हो गए हैं और विस्तार के प्रति उदासीन है। यही कारण है कि हमारी वर्ण व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। वर्तमान भारत में मोदी-भागवत की जोड़ी हिंदुत्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और हम आप सब मिलकर हिंदुत्व के विस्तार का दायित्व पूरा करें। तभी हम फिर से दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज के प्रातः कालीन सत्र में हम इस विषय पर विचार करें, कि हम किस तरह विस्तार और सुरक्षा दोनों को मजबूत कर सकते हैं और इस कार्य के लिए विचार और संस्कार के बीच संतुलन बना सकते हैं। 'वर्ण व्यवस्था' हमारे विस्तार और सुरक्षा के संतुलन का मजबूत आधार है। हम वर्ण व्यवस्था को नए स्वरूप में फिर से पुनर्जीवित करें विचार और संस्कार का संतुलन बनावें।

हम वर्ण व्यवस्था के नए संस्करण की चर्चा कर रहे हैं। हमारा यह मानना है कि दुनिया में वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छा समाधान है और भारत ही इस संबंध में दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था को संशोधित स्वरूप में प्रारंभ किया है। हम लोगों का एक ग्रुप देश में "मां संस्थान" अर्थात मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के अंतर्गत 'मार्गदर्शक' के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। हम हर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, संवैधानिक सभी विषयों पर विचार मंथन करते हैं और अलग-अलग क्षेत्र का मार्गदर्शन करते हैं। हम वर्ण व्यवस्था के 'मार्गदर्शक' के रूप में अपने को मजबूत कर रहे हैं। हमारे सीधे संबंध रक्षकों से हैं। 'रक्षक' के रूप में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ आदि सफलतापूर्वक हम लोगों की अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं। हम पूरी तरह एक दूसरे के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं। हम दोनों के साथ अडानी, अंबानी का भी काफी सहयोग मिल रहा है। यह दोनों 'पालक' की भूमिका में है, यह दोनों पूरी दुनिया में हमारे भारत के व्यापार को बढ़ा रहे हैं और जो कुछ भी लाभ प्राप्त हो रहा है, उस लाभ से हम लोगों की वर्ण व्यवस्था के संचालन में मदद भी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ अनेक सेवा करने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं जो अपने परिवार और बच्चों के लिए समाज की खुलकर सेवा कर रहे हैं। इस तरह हम वर्ण व्यवस्था का एक नया स्वरूप भारत में बना रहे हैं, जिसमें 'मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक' चारों अपनी-अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार मदद कर रहे हैं। हमारी सफलता से साम्यवादी, सांप्रदायिक मुसलमान और नेहरू परिवार दिन-रात छाती पीट रहे हैं। आप सुबह से शाम तक देखेंगे कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, संघ, अडानी, अंबानी या सामाजिक एकता को दिन-रात गाली देते रहते हैं। आप सुबह से शाम तक राहुल गांधी के भाषण सुन लीजिए, उनके भाषण में इसके अतिरिक्त एक लाइन भी नहीं मिलेगी। यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि हमारे भारत के वर्ण व्यवस्था विरोधी देशद्रोही लोग दिन-रात छाती पीट रहे हैं और हम लोग वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।

2. संविधान दिवस के बहाने एक विमर्श:

कल 26 नवंबर है कल से भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है जो कई दिनों तक चलता रहेगा। मैं भी उचित समझा कि हम संविधान दिवस से कई दिनों तक संविधान पर चर्चा करते रहें। हमारा मुख्य विषय यह होगा कि भारत का संविधान कितना सफल है कितना असफल है भारत का संविधान कितनी समस्या है कितना समाधान है क्या भारत का संविधान बहुत प्रशंसा करने योग्य है या आलोचना करने योग्य है क्या भारत के संविधान को आंख बंद करके स्वीकार करना चाहिए या इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए या पूरे के पूरे को बदल देना चाहिए। इन महत्वपूर्ण विषयों पर हम कल से कुछ दिनों तक लगातार चर्चा करते रहेंगे। मैं जानता हूँ कि किसी भी एक गिलास में यदि व्यवस्था बदलती है तो कुछ लोग उसके आधे भरे हुए को आधा खाली मानते हैं और दूसरे खाली गिलास को आधा भरा हुआ मानते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ लोग आधा भरा होने के कारण उसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग आधा खाली होने के कारण उसकी आलोचना करते हैं। वर्तमान संविधान का भी यही हाल है। ऐसी स्थिति में हम इस बात की विवेचना करेंगे जो गिलास आधा भरा हुआ है वह धीरे-धीरे और भर रहा है या धीरे-धीरे खाली हो रहा है अर्थात भारत का संविधान वर्तमान समय में जैसा है वह सुधार के तरफ जा रहा है कि कमजोरी की तरफ जा रहा है यही इसकी सफलता का एकमात्र मापदंड होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कल से इस विषय की प्रतीक्षा करेंगे।

क्या है संविधान: आज 26 नवंबर है आज संविधान दिवस है आज से पूरे देश भर में लगभग 1 महीने तक संविधान पर चर्चा होगी इस संविधान चर्चा में हम सब साथी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से इस चर्चा में आप लोगों के साथ शामिल रहूँगा। मैं इस चर्चा में कुछ पहल करने का प्रयत्न करूंगा और आप सब जो कुछ लिखेंगे उसमें भी मैं टिप्पणी करूंगा। चलिए हम आप सब मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ावे। व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता और सहजीवन के तालमेल की प्रक्रिया समाजशास्त्र मानी जाती है। धीरे-धीरे यह प्रक्रिया रूढ़ होकर विकृत हो जाती है तब इस प्रक्रिया में बदलाव का प्रयत्न समाज विज्ञान होता है। समाज विज्ञान जो निष्कर्ष निकालता है वह फिर से समाजशास्त्र बन जाता है। यही सामाजिक चक्र हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता की सुरक्षा के दायित्व पूरे करने के लिए समाज एक मैनेजर नियुक्त करता है उस मैनेजर को ही हम तंत्र कहते हैं। दूसरी ओर सह जीवन की मजबूरी का निरंतर प्रशिक्षण देने वाली प्रक्रिया को हम धर्म कहते हैं। तंत्र को शक्ति समाज के द्वारा प्राप्त होती है और उस शक्ति की अंतिम सीमाएं क्या होगी वे सीमाएं समाज तय करता है और उन सीमाओं को ही संविधान कहा जाता है। इस तरह संविधान की सबसे अच्छी परिभाषा यह होनी चाहिए कि तंत्र के अधिकतम और लोक के न्यूनतम अधिकारों की अंतिम सीमाएं निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान माना जाना चाहिए। तंत्र संविधान की सीमाओं के अंतर्गत कानून बनाता है और व्यक्ति इन कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। इस तरह तंत्र की न्यूनतम और व्यक्ति के अधिकतम अधिकारों की सीमा कानून तय करता है लेकिन किसी भी परिस्थिति में तंत्र या संविधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस तरह आज की चर्चा में हम लोगों ने संविधान शब्द की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है वर्तमान दुनिया में संविधान की जो परिभाषाएं प्रचलित है वे अब उपयुक्त नहीं है इसलिए उन परिभाषाओं में बदलाव होना चाहिए।

बीते समय में संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षा के मामले में फेल रही: कल की अधूरी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। संविधान तंत्र को जिस तरीके से शासन चलाने की पद्धति बताता है उस तरीके को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के आपसी तालमेल से व्यक्ति पर शासन करता है। यह आवश्यक है कि लोकतंत्र की इन तीनों इकाइयों में आपस में चेक एंड बैलेंस हमेशा बना रहना चाहिए। वैसे तो समाज की हर इकाई का अपना अपना संविधान हो सकता है और राष्ट्र भी हमारे व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है लेकिन राष्ट्र हमारी वर्तमान व्यवस्था की अंतिम इकाई होने के कारण हम राष्ट्रीय संविधान तक अपनी चर्चा को सीमित कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे संविधान सभा ने एक संविधान बनाकर तंत्र को तदनुसार कार्य करने का निर्देश दिया था। अब 75 वर्ष के बाद यह समीक्षा करने का उचित अवसर है कि हमारा संविधान व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और तंत्र की उद्दंडता पर नियंत्रण करने में किस सीमा तक सफल रहा और यदि असफल हुआ तो उसके कारण क्या थे। मैं मानता हूँ कि भारत का लोकतंत्र दक्षिण एशिया के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की तुलना में कई गुना अधिक सफल रहा है किंतु यह बात भी सच है कि भारत का लोकतंत्र व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और तंत्र की उद्दंडता पर नियंत्रण करने में असफल रहा है। वर्तमान भारत में जिस तरह न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति की छीना झपटी हो रही है उसे रोकने में हमारा संविधान कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर भी अपराधियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी डकैती लूट बलात्कार मिलावट कम तौल जालसाजी धोखाधड़ी हिंसा बल प्रयोग आतंकवाद जैसी अनेक आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं और हमारा तंत्र इन्हें रोकने में सफल नहीं हो रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक अपराधियों से भी भयभीत है और तंत्र के बढ़ते हुए हस्तक्षेप से भी परेशान है। लेकिन अपराधी तत्व न समाज से डर रहे हैं ना कानून से। इसलिए यह गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है कि हमारा संविधान अपने प्रमुख कार्य में असफल क्यों हुआ।

परिवार और गांव को व्यवस्था में जगह न देना मूल समस्या: हम लोगों ने दो दिनों की चर्चा में यह नतीजा निकाला कि हमारा संविधान अपराध नियंत्रण और तंत्र की उच्छृंखलता पर नियंत्रण करने में असफल रहा है लेकिन आज हम यह विचार करेंगे कि इसका कारण क्या है। संविधान बनाते समय ऐसा लगता है कि कुछ कमियां रह गई। संविधान से परिवार और गांव की व्यवस्था को निकाल कर धर्म और जाति को संवैधानिक अधिकार दे देना मेरे विचार से एक बड़ी गलती थी। संविधान को पूरा पढ़ने के बाद यह भी स्पष्ट हुआ कि संविधान की भाषा अनेक स्थानों पर द्विअर्थी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी किसी एक अर्थ पर निश्चित सहमति व्यक्त नहीं कर पाते। ऐसा लगता है यदि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और व्यवस्था होती तो शायद अनेक अर्थ बदल जाते। संविधान के अनेक अनुच्छेदों में प्रारंभ में सैद्धांतिक पक्ष लिखकर बाद में परंतु लगाकर उसके पूरे अर्थ को ही उलट दिया गया इसके कारण अनेक कांट्रडिक्शंस पैदा हुए। इसी तरह संविधान को वर्ग समन्वय की दिशा में जाना चाहिए था लेकिन संविधान वर्ग विद्वेष की दिशा में बढ़ता चला गया जिसका परिणाम हुआ वर्ग संघर्ष। संविधान को समाज का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए था और तंत्र को समाज का मैनेजर बनना चाहिए था लेकिन संविधान में तंत्र को कस्टोडियन घोषित कर दिया। इस तरह और भी अनेक विसंगतियां हो सकती हैं लेकिन उन पर हम विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं चर्चा आगे भी जारी रहेगी।

तंत्र ने संविधान संशोधन के अधिकारों का किया दुरुपयोग: हम तीन दिनों से भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यह समझता हूँ कि हमें गंभीरता से सोचना होगा कि संविधान के प्रमुख दुष्परिणाम का प्रभाव कब से शुरू हुआ। यदि आप संविधान के मौलिक स्वरूप पर विचार करेंगे तो संविधान बनाते समय संविधान के मूल तत्व को कायम रखा गया था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। संविधान बनने के बाद जब संविधान सभा भंग की गई और संविधान सभा की भूमिका संसद को दे दी गई तब भी संविधान सभा का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित था। संसद संविधान संशोधन के लिए अंतिम रूप से अधित नहीं थी बल्कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक थी लेकिन हमारे राजनेताओं ने सन 1971 में संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति के निर्णय का भी अंतिम अधिकार छीन लिया। संविधान बनाते समय संविधान सभा ने कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका की समान और स्वतंत्र भूमिका निर्धारित की थी लेकिन हमारी विधायिका ने संविधान लागू होने के 1 वर्ष के बाद ही न्यायपालिका के यह स्वतंत्र अधिकार छीन लिए। यहां तक कि हमारी संविधान सभा ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संसदीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा था लेकिन हमारी संसद ने बाद में मौलिक अधिकारों में भी बदलाव का अधिकार अपने पास ले लिया। हमारे मूल संविधान में यह तीन ऐसे संशोधन किए गए जिनके कारण अधिकारों की छीना झपटी शुरू हुई। न्यायपालिका ने तो 1973 में अपने को संसद से भी ऊपर घोषित कर दिया और उसके कारण न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो अप्रत्यक्ष टकराव शुरू हुआ वह अभी तक जारी है लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार अभी भी संसद ने अपने पास रखे हैं। चर्चा कल भी जारी रहेगी।

तंत्र मुक्त संविधान एक मात्र समाधान: हम चार दिनों से संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कुछ भूलें की लेकिन संविधान लागू होने के बाद हमारे राजनेताओं ने कुछ जानबूझकर अपने स्वार्थ में बड़ी-बड़ी गलतियां कर दी जिनके कारण हमारा संविधान तंत्र को निर्देशित अथवा नियंत्रित करने में असफल हो गया। संविधान की असफलता का प्रभाव हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ा जिसके कारण हमारे अपराधी तत्व उद्दंड होते चले गए। यह उद्दंडता व्यक्तियों के स्वभाव में किसी व्यक्तिगत या सामाजिक बुराई का परिणाम नहीं है बल्कि यह उद्दंडता हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आई कुछ कमजोरियों का परिणाम है। इस संबंध में हमें संविधान की स्वतंत्रता पर भी विचार करना होगा। कोई नए संविधान का प्रस्ताव वर्तमान समय में संभव नहीं है ना ही संविधान में कोई मौलिक संशोधन की बात सोची जा सकती है लेकिन वर्तमान स्थिति को इसी तरह चलने देना भी उचित नहीं है। इसलिए मेरा इस संबंध में एक व्यावहारिक सुझाव है कि संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार सिर्फ तंत्र के पास न होकर उसमें किसी अन्य ऐसी इकाई का भी योगदान आवश्यक है जो समाज द्वारा सिर्फ इसी कार्य के लिए बनाई जाए अर्थात उस इकाई का अन्य लोकतांत्रिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो वह सिर्फ संविधान में संशोधन पर ही विचार कर सके। ऐसी इकाई कोई संविधान सभा भी मानी जा सकती है जिला सभाओं के अध्यक्षों के समूह को भी माना जा सकता है राष्ट्रपति को भी यह अंतिम अधिकार दिया जा सकता है ग्राम सभाओं को भी दिया जा सकता है अथवा कोई और नया तरीका खोजा जा सकता है जो तंत्र के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से मुक्त हो। मैं यह कह सकता हूँ कि भारत में लोक की सुरक्षा का दायित्व संविधान का है और संविधान को तंत्र से मुक्त होना ही चाहिए तरीका क्या हो इस तरीके पर सोचा जा सकता है।

3. भारत के शानदार अर्थव्यवस्था की राह इतनी आसान नहीं थी:

आज ही समाचार मिला है कि जापान के अखबारों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था जापान से भी आगे बढ़ने में सफल दिख रही है। जल्दी ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर आ सकती है। जापान ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और आश्चर्य व्यक्त किया है कि भारत किस तरह इस तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके साथ-साथ यह समाचार भी छपा की 'मूडीज' ने जो दुनिया के अर्थव्यवस्था का आकलन करती है, उसने कहा है कि भारत की विकास दर इस साल और बढ़कर 7.15 प्रतिशत रह सकती है। जबकि कुछ दिन पहले उसके 7 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। इस तरह हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था की सफलता में बहुत उत्साहित है, दूसरी ओर राहुल गांधी बेचारे बहुत परेशान है। क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी सारी ताकत लगा दी, दिन-रात अडानी अंबानी को गालियां दी। राहुल गांधी ने दिन-रात किसानों को भड़काया, किसानों से आंदोलन भी करवाया, कि किसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की ना कर पाए, लेकिन राहुल गांधी अपनी सारी कोशिशों में फेल होते दिख रहे हैं। सालों से नकली किसान सड़क बंद किए हुए हैं, सालों से राहुल गांधी दिन भर में 10 बार अडानी अंबानी को गाली देते हैं। राहुल गांधी ने तो विदेशी हिडन वर्ग से मिलकर अडानी अंबानी पर कई आक्रमण भी करवाये, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि राहुल गांधी के लाख कोशिशों के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत का हर कम्युनिस्ट दिन-रात यही लिखता है कि भारत में गरीबी बढ़ रही है, भारत पर कर्ज बढ़ रहा है, भारत में महंगाई बढ़ रही है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन इतना दिन रात झूठ बोलने के बाद भी सारी दुनिया यह मानकर चल रही है कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत बहुत तेजी से आगे जा रहा है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूँ कि झूठा प्रचार से आपकी रही सही इज्जत भी चली जाएगी, आपको अब झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए।

4. नेहरु, परिवार वाले या संविधान सभा के, किस संविधान को सर्वाच्च मानें:

दोपहर के सत्र में हम संवैधानिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। देश के सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है, कि वह संविधान को भगवान के समान माने। इस विषय पर मैंने बहुत गंभीर चिंतन किया, कि हम किस संविधान को सर्वोच्च मानें?किस संविधान को भगवान मानें?'एक संविधान' संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया था और देश को समर्पित किया था। हम उस संविधान को आधार माने अथवा अंबेडकर के बाद और संविधान सभा के बाद नेहरू, इंदिरा गांधी या उनके अन्य वंशजों ने मिलकर उस संविधान का जो नया प्रारूप बना दिया, इस संविधान को हम सर्वोच्च और भगवान माने?यह एक बहुत बड़ी उलझन है कि राहुल गांधी जो सभा में संविधान दिखाते हैं, वह संविधान सभा का संविधान है, अंबेडकर वाला संविधान है, या नेहरू और इंदिरा गांधी वाला संविधान है। क्या संविधान में मौलिक स्वरूप भी अब तक सुरक्षित है?यदि मौलिक स्वरूप सुरक्षित होता, तो सन 1973 में न्यायपालिका को यह आदेश क्यों देना पड़ा की संविधान के मौलिक स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि संविधान का मौलिक स्वरूप पूरी तरह बदल दिया गया था। जो एक लाल किताब दिखाई जा रही है, जो हम लोगों के सामने सम्मानित संविधान बताया जा रहा है, वह संविधान तो नेहरू और इंदिरा द्वारा बनाया गया संविधान है। इसमें अंबेडकर का तो कुछ बचा ही नहीं है, इसमें संविधान सभा का तो कोई कुछ है ही नहीं। सारे संविधान को बदलकर जो एक नया स्वरूप दे दिया गया, इस संविधान को हम सर्वोच्च कैसे माने, इस संविधान को हम भगवान कैसे मान लें। इसलिए अब समय आ गया है की अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो बाद में बदलाव किए गए, इन बदलावों पर हम फिर से विचार करें कि क्या उचित है क्या अनुचित है। यदि सन 73 के पहले संविधान के मौलिक स्वरूप में कोई फेरबदल की गई है तो फेर बदल को संविधान से निकाल दिया जाए। यदि नेहरू और इंदिरा द्वारा बनाए गए कूड़े-कचरे को राहुल गांधी हमें सम्मान देने और पूज्य कहने की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे आंख बंद करके मान ले। यह एक गंभीर प्रश्न है की सर्वोच्च संविधान अंबेडकर वाला है या नेहरू इंदिरा वाला राहुल का दिखाया गया संविधान अंबेडकर वाला है या नेहरू इंदिरा वाला।

5. राहुल गाँधी ही हैं, नरेन्द्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत:

यह बात लगातार साफ होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही है। पूरे भारत में राहुल गांधी के अतिरिक्त और कोई विपक्ष में ऐसा नेता नहीं है, जिसकी पार्टी का देश में सब जगह अप्रोच हो। कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल है, जिसकी पूछ परख पूरे देश में है और कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी स्थापित हो चुके हैं। नेहरू परिवार को छोड़कर कांग्रेस कहीं जा नहीं सकती। यही कारण है कि विपक्ष राहुल गांधी को अपना नेता बनाने और मानने के लिए मजबूर है। राहुल गांधी सरीखा नासमझ विपक्ष का नेता जब तक रहेगा, तब तक नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नहीं है। पिछले चुनाव में यह बात साफ हो गई थी कि जब तक नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में मतभेद नहीं होंगे, तब तक नरेंद्र मोदी स्थाई है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने बहुत प्रयत्न करके संघ और नरेंद्र मोदी के बीच में चुनाव के समय एक मतभेद की दीवार खड़ी की थी, उसका आंशिक लाभ भी दिखा। लेकिन राहुल गांधी की मूर्खता ने उस सारे लाभ को समाप्त कर दिया। क्योंकि राहुल गांधी की संघ को दिन-रात दी गई गलियां संघ को मजबूर करती है कि वह नरेंद्र मोदी के साथ ही जुड़े। अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत प्रयत्न किया कि हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर अखिलेश यादव ने भी बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह राहुल गांधी को इस दिशा से किनारे किया जाए। लेकिन राहुल किसी की बात सुनने वाले नहीं है उनकी तो अपनी मुर्गी की तीन टांग हमेशा बनी रहती है। दिन-रात संघ को गाली देना और संघ का मजबूरी में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाना, यही तो नरेंद्र मोदी की ताकत है। मैं नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूँ और राहुल गांधी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वह अपनी इसी राह पर चलते रहे, जिससे नरेंद्र मोदी को कोई परेशानी ना हो।

6. खोखले आदर्शों पर खड़ी समाज और कानून व्यवस्था एक सामाजिक बुराई:

आज हम एक ऐसी सामाजिक बुराई पर चर्चा कर रहे हैं जिसे सामाजिक बुराई नहीं माना जाता। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक मजदूर युवक ने एक बाल युवती के साथ अवैध संबंध बनाए और वह युवती गर्भधारण कर लेती है। युवक ने गर्भ गिराने के लिए उस युवती को कुछ दवाइयां दीं। उन दवाइयां से यूवती की मौत हो गई। उस युवक ने मौत को छिपाने के लिए उस मृतक युवती को अपनी बहन के साथ मिलकर किसी गड्ढे में दफना दिया। अब वह युवक और उसकी बहन जेल काटेंगे उन्हें इस आरोप में आजीवन सजा हो सकती है। विचारणीय प्रश्न यह है की क्या यह सारी घटना एक सामाजिक बुराई नहीं मानी जानी चाहिए। उस युवक ने एक युवती के साथ अवैध संबंध बनाए उसे यह पता नहीं था कि यह इतना बड़ा अपराध मान लिया जाएगा। उस युवक की नीयत गर्भधारण की नहीं थी उस युवक की नीयत हत्या करने की नहीं थी उसकी बहन की नीयत किसी हत्यारे को बचाने की नहीं थी इसके बाद भी यह दोनों इतनी बड़ी अपराध में फंस जाते हैं। क्या यह कानून का दोष नहीं है। क्या यह सामाजिक बुराई नहीं है। उन दोनों ने जो भी किया वह किसी सामाजिक नियम से बचने के लिए किया उन दोनों ने जो भी किया वह किसी सरकारी कानून से बचने के लिए किया ना कि उनकी कोई नीयत खराब थी। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर हत्या का मुकदमा न होकर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा लगना चाहिए था। ऐसे मामलों में अब समाज को अपनी धारणा बदलनी चाहिए अर्थात 14 वर्ष से अधिक के बालक और बालिका यदि कोई संबंध बनाते हैं तो उस संबंध में ना समाज को कोई हस्तक्षेप करना चाहिए ना कानून को हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही वर्तमान वातावरण में इस प्रकार के सेक्स को बहुत बड़ी बुराई घोषित करना भी ठीक नहीं है। हमें अब सेक्स के बारे में लचीली सोच बनानी चाहिए। मेरे विचार से यह जो पूरी घटना है इसके लिए हमारे कानून दोषी हैं, हमारे समाज व्यवस्था दोषी है और इन दोनों के साथ दंड में रियायत दी जानी चाहिए थी। उच्च सिद्धांत वादी अव्यावहारिक आदर्श पर समाज व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाना एक सामाजिक बुराई है। हमें सामाजिक और कानूनी व्यवस्था बनाते समय उसके सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ व्यवहारिक पक्ष पर भी सोचना चाहिए।

7. क्या राहुल गाँधी का मंतव्य है कि मोदी सरकार लोकतान्त्रिक है?:

सायंकालीन सत्र में हम राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने कल दिन भर में कई बार संघ की बहुत कटु निंदा की उन्होंने यह भी कहा कि संघ के लोग न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक के उच्च स्तरों पर स्थापित किये जा रहे हैं। आज उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी 'एक हैं तो सेफ है' का नारा देते हैं इसका अर्थ यह हुआ की अडानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह यही लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। अगर अडानी और मोदी एक है तो पूरा भारत सेफ है, इस तरह की धारणा पूरे भारत में बन गई है। मेरे विचार से राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें सच्चाई भी है। यह बात सही है कि सभी उच्च पदों से कम्युनिस्टों की संख्या कम हो रही है और संघ के लोग वहां बैठ रहे हैं। यह बात भी सही है कि भारत की सरकार चलाने में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, मोहन भागवत, आदित्यनाथ इन ही सबका नियंत्रण है। मैं राहुल गांधी की इस बात से सहमत हूँ लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी में कौन-कौन एक है तो सब कुछ सेफ है? स्पष्ट है कि नेहरू खानदान और नेहरू खानदान में भी वर्तमान समय में अकेली सोनिया गांधी अगर एक हैं तो सब कुछ सेफ है सोनिया, राहुल, प्रियंका और सोनिया के दामाद और उनके बच्चे यही सब अगर एक रहेंगे तो सारा भारत सेफ है। अब विचारणीय प्रश्न ये हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में तो कम से कम चार-पांच लोगों को एक होना पड़ता है और यह सब अलग-अलग है एक खानदान के नहीं है एक व्यक्ति के नहीं है। सब की स्वतंत्र सोच है, संघ की सोच, नरेंद्र मोदी की सोच, आदित्यनाथ की सोच और आडानी की सोच इन सब की कुछ भिन्न है लेकिन सोनिया गांधी अगर एक है तो सारा भारत सेफ है इस नारे का क्या औचित्य है यह समझ में नहीं आया। मैं यह जानना चाहता हूँ। राहुल गांधी स्पष्ट करें कि नरेंद्र मोदी का नारा यदि गलत है तो फिर कांग्रेस के नारे में उसके बदले क्या है राहुल गांधी यह बताने की पा करें कि कांग्रेस पार्टी कौन चला रहा है?

8.नारों का सामाजिक एकता का प्रयोगः

वर्तमान भारत में योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया है जिसके अनुसार 'बटेंगे तो कटेंगे' 'एक रहेंगे नेक रहेंगे' यह नारा पूरे देश में बहुत प्रचलित हो रहा है। इस नारे का सीधा-सीधा अर्थ यह लगाया जा रहा है कि यह नारा हिंदू एकता के लिए दिया गया है। मेरे विचार से योगी आदित्यनाथ का भी उद्देश्य इसी तरह का दिखता है लेकिन यदि इस नारे के शब्दों का सीधा अर्थ लगाया जाए तो इस नारे में कहीं भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे हिंदू एकता का कोई भाव दिखता हो। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यह सामाजिक एकता की दिशा मजबूत करता है। नारे की पहली लाइन 'बटेंगे तो कटेंगे' वह तो हिंदू एकता की तरफ आकर्षित करती है किंतु दूसरी लाइन 'एक रहेंगे नेक रहेंगे' यह लाइन सामाजिक एकता की तरफ झुका देती है। नेक रहेंगे का अर्थ सीधा-सीधा यह है कि हम यदि सामाजिक दृष्टि से एक जुट रहेंगे तभी हम भले रह सकते हैं, शरीफ रह सकते हैं। अन्यथा हमें अपराधी तत्वों के आक्रमण झेलने पड़ेंगे, क्योंकि नेक रहने का मतलब हिंदुत्व नहीं है, इस्लाम नहीं है, नेक रहने का मतलब है 'शराफत'। मैं ऐसा मानता हूँ यदि इस नारे को सामाजिक एकता के लिए उपयोग किया जाए, तो इस नारे का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है क्योंकि नेक रहने के लिए हम सब अच्छे लोगों को हिंदू-मुसलमान भूलकर एकजुट हो जाना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक संशोधित नारा दिया जिसके अनुसार 'एक रहेंगे सेफ रहेंगे' यह बताया गया। भारत में सांप्रदायिक आधार पर मुसलमान हमेशा एकजुट रहे हैं और उनकी एकजुटता के आधार पर ही वर्तमान विपक्षी दल मुस्लिम एक जुटता का समर्थन करते हैं। योगी आदित्यनाथ के नारे या नरेंद्र मोदी के नारे का सभी मुसलमान और मुस्लिम पक्षधर राजनीतिक दल खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम एक जुटता पर चर्चा करते समय सभी विपक्षी दलों की जुबान में ताला बंद हो जाता है। यदि इस नारे से सामाजिक एकजुटता मजबूत होती है, तब भी बहुत अच्छी बात है। और यदि हिंदू एक जुटता भी बनती है तब भी यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर एक जुट रहने वाले लोग दूसरे संप्रदाय की एक जुटता का विरोध नहीं कर सकते। मेरे विचार से इस बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का सामाजिक हित में उपयोग करना चाहिए और विरोध करने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। जो भी व्यक्ति इस नारे का विरोध करता है उससे यह साफ पता चल जाता है कि वह या तो मुसलमान है या मुसलमानों पर राजनीतिक रूप से आश्रित है।

9.हमेशा पुलिस को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं:

आमतौर पर यह धारणा है कि मैं पुलिस विभाग के समर्थन में रहता हूँ। मेरी बचपन से ही यह मान्यता है कि पुलिस विभाग का काम सबसे अधिक कठिन है। एक तरफ पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी जाती है और दूसरी तरफ राजनेताओं और जनता के बीच में पुलिस की छवि भी बिगाड़ी जाती है। फिर भी नौकरी वेतन और घुस के लालच में बेचारे पुलिस वाले नौकरी करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों ही मेरे गृह नगर बलरामपुर में एक घटना घटी। बलरामपुर में एक अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस कर्मचारी को बुला कर पुलिस वाले उससे किसी हत्या के संबंध में पूछताछ कर रहे थे। बस बवाल भड़क गया और नगर बंद हो गया पुलिस वालों पर आक्रमण हुए सभी बीजेपी और कांग्रेस और नगर के लोगों ने मिलकर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। सरकार ने भी आत्महत्या करने वाले को मुआवजा घोषित कर दिया, तीन दिनों तक बेचारे पुलिस वाले मार खाते रहे और कोई सहानुभूति नहीं थी। सारे अखबारों में पुलिस के खिलाफ समाचार आ रहे थे। मैं अकेला था जिसने 25 अक्टूबर को ही यह बात लिख दी थी की पुलिस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आश्चर्य है कि ऐसा लिखने वाला मैं अकेला व्यक्ति था। आज उस केस का खुलासा हो गया और यह बात पाई गई की जिसने आत्म हत्या की वह अपनी पत्नी की हत्या में शामिल था और उसके माता-पिता वगैरा परिवार के लोग भी उसमें शामिल बताए जाते हैं। उन पर झारखंड के गढ़वा में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आश्चर्य होता है कि इस प्रकार के हत्यारों पर हम लोग तत्काल भरोसा कर लेते हैं और पुलिस पर अविश्वास करते हैं। यह धारणा मेरे विचार से पूरी तरह गलत है और इस विषय पर हम लोगों को अपनी धारणा बदलनी चाहिए। अब नई परिस्थितियों में क्यों नहीं उन आंदोलनकारी को भी इस अपराध के साथ जोड़ दिया जाए, जिन लोगों ने महीना तक पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया। यहां तक की पूरे छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन को विस्तार दिया गया। जबकि हत्यारा एक सरकारी कर्मचारी था और पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि भावना में आकर ऐसे संवेदनशील मुद्दों में कानून अपने हाथ में लेना उचित नहीं है। पुलिस विभाग पर भरोसा किया जाना चाहिए।

10. महिला और पुरुष के बीच अंतर्संबंधों पर निर्णायक कौन?:

20 नवंबर का प्रातः कालीन सत्र है। हमारी समाज व्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों का करीब बराबर-बराबर का योगदान है। दोनों में कुछ प्राकृतिक रूप से अंतर होता है और दोनों मिलकर ही हमारी प्राकृतिक तथा सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। स्पष्ट है कि दोनों का मिलन अनिवार्य माना जाता है और उन दोनों के बीच मिलन की कुछ सामाजिक सीमाएं भी निर्धारित की जाती हैं। अंग्रेजों के आने के पूर्व इस दूरी का अनुपात परिवार या समाज तय करते थे। इस व्यवस्था में जब से राजनीति का हस्तक्षेप हुआ है, जब से तंत्र ने दखल दिया है, यह संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान भारत में इन दोनों की एकता में अविश्वास की दीवार खड़ी की गई है। इस अविश्वास की दीवार ने बहुत जटिल स्थिति पैदा कर दी है। हमें यह गहराई से विचार करना पड़ेगा की महिला और पुरुष के बीच दूरी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। सरकार खुद यह तय नहीं कर पा रही है कि महिला और पुरुष के बीच में दूरी घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए या संतुलित दूरी क्या हो। सरकार की अनेक नीतियां दूरी बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहती है और अनेक नीतियां दूरी घटाने के लिए प्रयत्नशील होती है। सरकार को यह नहीं पता कि संतुलित दूरी क्या हो?मेरे विचार से संतुलित दूरी क्या हो? इसका निर्णय यदि परिवारों पर छोड़ दिया जाए, समाज पर छोड़ दिया जाए, तो ज्यादा उचित होगा। यह तय करना ही पड़ेगा की महिला और पुरुष के बीच संतुलित दूरी का अनुपात कौन करें? परिवार करें, या तंत्र करें सरकार करें। मेरे विचार से सरकार को इस मामले से पूरी तरह बाहर हो जाना चाहिए और व्यक्ति को एक इकाई मान लेना चाहिए। हर मामले में पश्चिम की नकल करना उचित नहीं है, जो मामले हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था में अच्छे थे उन्हें स्वीकार करना चाहिए। महिला और पुरुष आपस में मिलकर परिवार के रूप में जिस तरह दूरी तय करना चाहते हैं, वह स्वतंत्रता से तय कर सके।

11. आर्थिक असमानता के शोर में राजनैतिक असमानता की बात:

दुनिया में असमानता बढ़ रही है यह बहुत चिंताजनक है लेकिन अनेक वामपंथी इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ रही है। पूरे भारत में एक प्रतिशत लोगों के पास देश की आधी से अधिक संपत्ति है और 99ः के पास आधी से भी कम। लेकिन जब इन्हीं लोगों से यह प्रश्न किया जाए कि देश के एक प्रतिशत लोगों के पास निर्णय के 99ः अधिकार है और 99ः लोगों के पास एक प्रतिशत भी नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देते समय इन सब की नानी मर जाती है, जबान बंद हो जाती है। तंत्र और लोक के बीच राजनीतिक ताकत की कितनी असमानता है कि अगर तंत्र चाहे तो किसी भी व्यक्ति को किसी साधारण अपराध में भी फांसी दे सकता है, और लोक अगर चाहे तो तंत्र के अधिकतम अधिकारों की सीमा भी नहीं बना सकता। क्योंकि इन धूर्तो ने लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा 'लोक नियंत्रित तंत्र' को बदलकर 'लोक नियुक्त तंत्र' कर दिया है। मैं देख रहा हूँ कि हर कम्युनिस्ट दिनभर आर्थिक असमानता की ही बातें करता है, कभी राजनीतिक असमानता की बात नहीं करता। इसलिए हम सब आप मिलकर अब एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की शक्ति परिवार गांव तक चली जाए। उसमें तंत्र का किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। हमें सुराज नहीं स्वराज चाहिए हमारा यह नारा होना चाहिए।

12. पैसा बांटने और पैसा लेने वालों के बीच चुनाव:

सायंकालीन सत्र में हम इस बात की चर्चा करेंगे की कल से आज तक कई चुनाव में कौन-कौन सी उल्लेखनीय घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश की किसी सीट पर चुनाव में एक महिला की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने किसी अलग पार्टी को वोट देने की इच्छा व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बात पर बहुत विवाद हुआ कि मुस्लिम महिलाओं का चेहरा महिला पुलिस भी देख सकती है या नहीं, इस बात पर लंबे आरोप प्रत्यारोप भी लगे। यह भी आरोप लगा की बहुत से लोगों को मतदान से रोका जा रहा है और बहुत लोगों को फर्जी मतदान कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं पता चली की विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने 5 करोड रुपए लोगों के बीच में बांटे हैं। थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया की सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना ने मिलकर 200 करोड रुपए का घपला किया है। 5-7 दिन पहले भी यह समाचार मिला था कि कर्नाटक में हर विधायक को भाजपा का समर्थन करने के लिए 50-50 करोड रुपए दिए जा रहे हैं। एक बात जरूर विचारनीय है की इस प्रकार सत्तारूढ़ दल भाजपा और विपक्षी कांग्रेस या अरविंद वगैरह जो आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है?उसका पता लगाना संभव नहीं है और ना ही पता लगाने का कोई लाभ है। क्योंकि यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि इनमें से कोई एक भी सच बोल रहा है। लेकिन एक बात जरूर साफ हुई है कि विपक्षी दल जो भी आरोप लगा रहे हैं, वह भाजपा पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं, लेने का नहीं। वह पैसा कहां से ला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?इस संबंध में अभी तक कहीं कोई आरोप नहीं लगा है। यह जरूर आरोप लगा है कि 100 करोड़ वहां बांट दिए 500 करोड़ वहां बांट दिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रूपया ले लिया, बिटकॉइन मामले में 200 करोड़ रूपया ले लिया। यहां छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल वगैरह ने हजारों करोड़ों रुपया घपला कर दिया। यह अंतर साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी पर रुपया बांटने का आरोप लग रहा है, आया कहां से यह अभी तक पता नहीं है। विपक्षी दलों पर रुपया इकट्ठा करने का आरोप लग रहा है, जा कहा रहा है, यह अभी तक कोई पता नहीं है। अच्छा हो कि जनता यह भी जान जाए कि किसके पास पैसा कहां से आ रहा है और यह पैसा किसके पास जा रहा है। भ्रष्टाचार खुलकर हो रहा है यह बात जग जाहिर हो चुकी है।

13. प्रतिस्पर्धाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष हों यह तंत्र की जिम्मेदारी:

पूरे समाज में ऊपर से नीचे तक असमानताएं हैं। असमानताएं प्राकृतिक हैं भौतिक नहीं। कोई भी दुनिया में किसी भी मात्रा में ना समान योग्यता रखता है ना समान क्षमता रखता है इसलिए असमान लोगों को समान बनाना किसी भी दृष्टि से ना संभव है, ना उचित है। किसी भी व्यवस्था को कभी भी इस प्रकार के प्रयत्न नहीं करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र है। यह आवश्यक है कि किसी की भी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की ना बाधा पैदा करनी चाहिए, ना उसकी किसी तरह की मदद की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति समूह उसकी स्वेक्षा से मदद कर सकता है किंतु किसी राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार की किसी को मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में किसी की बाधा पहुंचती है तो वह बाधा दूर करना राज्य की जिम्मेदारी है समाज की नहीं। दुर्भाग्य से राज्य अपनी जिम्मेदारी से तो भाग रहा है वह बाधा तो दूर नहीं कर रहा है इसके विपरीत राज्य कमजोरों की मदद कर रहा है। जब राज्य ऐसे कमजोरों की मदद करता है तो सक्षम और अक्षम के बीच टकराव शुरू हो जाता है और फिर राज्य उस टकराव को दूर करने में बिचौलिए की भूमिका निभाता है। यही आज की दुनिया में संघर्ष का बड़ा कारण है। हम पश्चिम का अंधानुकरण करके इस प्रकार कमजोरों की मदद करते हैं। कमजोरों को मदद करके उनको ऊपर उठाते हैं और जब उनका मजबूतों से टकराव शुरू होता है, तब उस संघर्ष में बिचौलिए बन जाते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि क्या राज्य को कमजोरों की मदद करना चाहिए। मेरे विचार से यह कार्य राज्य का नहीं है। फिर भी जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता ही नहीं रखते और निराश्रित भी हैं, इस तरह के सबसे निचले तबके को राज्य 'जीवन की' या 'जीने की' गारंटी दे सकता है। यह राज्य का स्वैच्छिक कर्तव्य है लेकिन यह गारंटी सिर्फ 'जीने की' होगी। तभी तक होगी कि जब उसका जीवन खतरे में है। पूरे भारत में ऐसे निराश्रित और अक्षम लोगों की संख्या कुछ हजार से अधिक नहीं होगी, इन लोगों को हम जीने की गारंटी दे सकते हैं।

14. विश्व पुरुष दिवस पर:

दोपहर के सत्र में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अभी दो दिन पहले ही विश्व पुरुष दिवस मनाया गया है। दुनिया भर के बहुत लोगों ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की है कि लगातार महिला सशक्तिकरण की आवाज उठने के कारण पुरुषों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं लंबे समय से इस बात का अनुभव करता रहा हूँ कि देश का संविधान और हमारे देश के राजनेता महिला और पुरुष को आपस में विभाजित करके परिवार व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। यह आवाज भारत की नहीं है यह आवाज पश्चिम से आई है और भारत उस आवाज की आंख बंद करके नकल कर रहा है। यही कारण है कि पुरुष प्रधानता दिवस भी पश्चिम की आवाज है भारत की आवाज नहीं है। क्योंकि पश्चिम न पुरुष प्रधान मानता है न महिला प्रधान मानता है बल्कि वह तो दोनों को अलग-अलग प्रधान बनाकर परिवार व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है। इस विषय में आज मैंने विद्वान लेखिका छाया शर्मा जो बहुत प्रतिष्ठित लेखक है उनका एक लेख पढा। उस लेख में भी उन्होंने न्यूट्रल जेंडर कानून होने की वकालत की है जिसमें महिला और पुरुष का कोई अलग-अलग वर्ग ना हो अलग-अलग संगठन ना हो अलग-अलग अधिकार न हो बल्कि सबको या तो व्यक्ति माना जाए या परिवार माना जाए या समाज माना जाए जिसमें किसी के भी अलग से कोई कानून न हो। परिवार में रहते हुए कोई व्यक्ति महिला है या पुरुष इसके लिए अलग कानून की क्या जरूरत है। मैं उनके लेख के लिए छाया शर्मा को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अन्य महिलाओं की अंध नकल ना करके एक नया विचार दिया है। हम सबको मिलकर इस न्यूट्रल जेंडर की आवाज बुलंद करनी चाहिए जिससे राजनेताओं का और विशेष कर पश्चिम के लोगों का यह षड्यंत्र भारत में सफल हो सके।

15. राहुल गाँधी की झूठे की बनती छवी:

अभी तीन-चार दिनों से नरेंद्र मोदी विदेश में कई देशों में जा रहे हैं। उनमें कुछ मुसलमान देश भी है और कुछ अन्य देश भी है। कई जगह नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है। यहां तक की धीरे-धीरे नरेंद्र मोदी की एक विश्व स्तरीय नेता की छवि स्थापित होती जा रही है। बताया तो यहां तक जाता है कि अमेरिका में अभी जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का प्रभाव पड़ा है। वहां के भावी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज बयान भी दिया है कि हमारे प्रशासन में न्यायपालिका सहित अनेक स्थानों पर कम्युनिस्ट भर दिए गए हैं, इस पर भी हमें विचार करना होगा। सबसे बड़ी शोचनीय स्थिति यह है कि एक तरफ दिन-रात राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट उपाधि दे रहे हैं, सांप्रदायिक बता रहे हैं, अदानी का एजेंट बता रहे हैं। सपने में भी राहुल गांधी अदानी अदानी चिल्लाते रहते हैं और उसके बाद भी पूरी दुनिया में राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आखिर यह विचारनीय विषय है कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों गिर गई कि लोग उनके कहे हुए को पूरी तरह से झूठ कहने लग गए। मुस्लिम देश भी यह मानने को तैयार नहीं है कि राहुल सच बोल रहे हैं। राहुल तो हमेशा मुसलमानों के पक्ष में बोलते रहते हैं इसके बाद भी दुनिया के मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क बनाकर रखते हैं। राहुल गांधी को अब इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी, अदानी को लेकर दिन रात बोलते हैं उससे कहीं ऐसा सिद्ध ना हो जाए की हाथी चले बाजार कुत्ते मोंके हजार। अगर ऐसी छवि बन गई तो राहुल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं जानता हूँ अडानी ने अमेरिका से कोई ठेका लेने के लिए लोगों को घूस दी होगी। आमतौर पर उद्योगपति घूस देते ही हैं। घूस देना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, घूस लेना ज्यादा अपराध है। राहुल पर चीन से घूस लेने के आरोप लगे थे, देने के आरोप नहीं लगे। अभी तक किसी विपक्ष नेता पर घूस देने के आरोप नहीं लगे हैं लेने के आरोप लगे हैं। उत्तर राहुल को देना चाहिए की उनकी लगातार एक झूठ व्यक्ति के रूप में छवि क्यों स्थापित होती जा रही है।

16. सरकारें भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कानून बना रही न की रोकने के लिए:

22 नवंबर प्रातः कालीन सत्र में भ्रष्टाचार का विश्लेषण कर रहे हैं। सारी दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ा है अमेरिका, जापान सहित अन्य बड़े-बड़े देशों में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पर भ्रष्टाचार के प्रमाण मिले हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अभी कल ही अदानी पर भी करोड़ों रुपए घूस देकर ठेके लेने के आरोप लगाए गए। एक छोटे से गांव का आदमी भी यह बात खुलकर कहता है कि उसे हमेशा पटवारी से लेकर बाबू तक को सही काम के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह ऊपर से नीचे तक दुनिया भर में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है। यह सच्चाई हम लोग खुद भी देखते हैं। हम लोग भी अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। विचारनीय प्रश्न यह है इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि आप उसे किसी कानून से नहीं रोक सकते क्योंकि रोकने वाला भी भ्रष्ट है और जब सब जगह भ्रष्टाचार है तो भ्रष्ट्र व्यक्ति भ्रष्टाचार को रोक सकेगा इसकी संभावना न के बराबर है। जिस देश के सर्वोच्च शासक भ्रष्टाचार से मुक्त ना हो उस भ्रष्टाचार को कानून से कैसे रोका जा सकता है। इसलिए कानून में इसका कोई समाधान है ही नहीं। भ्रष्टाचार दुनिया में और भारत में उसी गति से बढ़ा है, जिस गति से राजनीतिक ताकत कुछ लोगों के पास इकट्ठी हुई है। एक सिद्धांत है कि किसी व्यवस्था में कानून की जितनी अधिक मात्रा होती है, उतना ही भ्रष्टाचार का प्रतिशत भी होता है। राजनेता और सरकारें भ्रष्टाचार करने के लिए कानून पर कानून बनाती हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं। हर नया कानून भ्रष्टाचार को बढ़ाता है इसलिए यदि आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो अधिकतम निजीकरण कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि सभी सरकारी कर्मचारी और राजनेता निजीकरण का इसलिए विरोध करते हैं कि वह सब के सब भ्रष्ट है। हम आप सब मिलकर 'भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे अच्छा समाधान निजीकरण है' यदि इस पर जनमत जागृत करेंगे तो भविष्य में इन बेईमान लोगों पर जरूर कोई ना कोई नियंत्रण हो सकेगा।

17. कृत्रिम उर्जा का मूल्य सस्ता रख प्रदुषण पर चिंता बेमानी:

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर लगातार चर्चा जारी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार दोनों को 10 दिन पहले यह उम्मीद थी कि अपने आप ही हवा ठीक हो जाएगी और इसलिए दोनों ही लगातार दावे पर दावे किए जा रहे थे। दोनों ही यह सिद्ध करना चाहते थे कि हमने दिल्ली के वातावरण को ठीक कर दिया है लेकिन वायु प्रदूषण भी इन दोनों को आंख दिखाने के लिए तैयार खड़ा था और आपने देखा होगा कि पिछले एक सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार दोनों ने ही हथियार डाल दिए हैं। अब उस तरह फुफकार नहीं रहे हैं उस तरह ललकार नहीं रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण सुप्रीम कोर्ट की डांट और सरकार के आदेश से मानने वाला नहीं है। आज भी सर्वाच्च अदालत में यह धमकी दी है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो हम जांच करने के लिए वकीलों को लगा देंगे। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश भर में सबसे ईमानदार और सबसे अच्छे सक्रिय वकील ही माने जाते हैं। अभी 15 दिन पहले ही एक न्यायाधीश और वकीलों के झगड़े में जब पुलिस बचाने गई वकीलों ने पुलिस वालों को भी खूब पीटा अभी 10 दिन पहले ही रिटायर होते समय चीफ जस्टिस ने बताया था किस तरह सुप्रीम कोर्ट पर कुछ वकील लगातार दबाव बनाए रखना चाहते हैं उन वकीलों को बॉर्डर की जांच सुप्रीम कोर्ट देने वाला है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी आज घोषणा की है कि हम दिल्ली में सब कुछ मुफ्त कर देंगे बिजली मुफ्त पानी मुफ्त और अनाज तो मुफ्त है ही शिक्षा भी मुक्त कर देंगे चिकित्सा भी मुक्त कर देंगे सब कुछ मुफ्त कर देंगे यहां तक की लोगों का वेतन भी बढ़ा देंगे आ जाओ सारे देश के लोग दिल्ली में और आओ यहां के पर्यावरण को शुद्ध कर दो। पर्यावरण इस प्रकार आबादी बढ़ने से शुद्ध होने वाला नहीं है। पर्यावरण शुद्ध होगा डीजल, पेट्रोल, बिजली के कम उपयोग से पर्यावरण शुद्ध होगा दिल्ली की अनावश्यक आबादी के बाहर जाने से पर्यावरण भीड़ बढ़ने से और सस्ता डीजल पेट्रोल कर देने से मानने वाला नहीं है। इस प्रकार मुफ्त करने से आपको वोट मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट को वाहवाही मिल सकती है, लेकिन पर्यावरण नहीं सुधरेगा। इसलिए आप यदि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं तो डीजल पेट्रोल बिजली को महंगा कर दीजिए। दिल्ली की आबादी अपने आप आधी हो जाएगी। गाड़ियां अपने आप कम हो जाएगी और पर्यावरण बिल्कुल साफ हो जाएगा। यह मुफ्त पानी बिजली का ढोंग करने से कोई लाभ नहीं है।

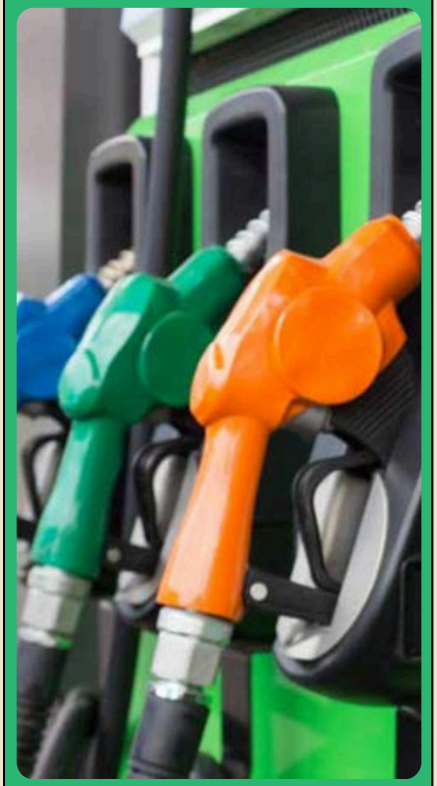

18. राहुल गाँधी के लाल किताब के अन्दर कांग्रेसी कुकर्मों के स्याह पन्ने:

सायंकालीन सत्र की चर्चा में हम राजनीतिक चर्चा करते हैं। आजकल राहुल गांधी एक लाल किताब लिए घूमते हैं जिसे भारत का संविधान कहते हैं। उस लाल किताब के सारे पृष्ठ सफेद हैं, लेकिन उसे राहुल गांधी संविधान कहते हैं। यह जिज्ञासा बहुत लोगों की बनी हुई है कि उसके अंदर के पृष्ठ सफेद क्यों है उसके अंदर में संविधान लिखा हुआ क्यों नहीं है। मैं आपको इसका राज बताता हूँ। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जनता के बीच में जाकर यह कहते हैं कि यह भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है और उस लाल किताब के अंदर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई कोई बात है ही नहीं। अंबेडकर के संविधान के अंदर लोकतंत्र स्पष्ट दिखता है। लोकतंत्र की तीन अनिवार्यताएं होती हैं पहला न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का बराबर का संतुलन हो, दूसरा राष्ट्रपति को संविधान सभा के अधिकार प्राप्त हो और तीसरा प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी हो। भीमराव अंबेडकर के संविधान में यह तीनों बातें शामिल थी। बाद में पंडित नेहरू ने सबसे पहले न्यायपालिका को लंगड़ा कर दिया। अब भारत का लोकतंत्र लंगड़ा रह गया क्योंकि न्यायपालिका के सारे अधिकार विधायिका ने छीन लिए। बाद में 1971 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को भी अधिकार विहीन करके पूरे लोकतंत्र के दोनों पैरों को काट दिया, अब लोकतंत्र बिना पैरों के हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकार भी छीन लिए और इस तरह हमारे अंबेडकर के संविधान से लोकतंत्र पूरी तरह गायब हो गया। न न्यायपालिका स्वतंत्र रही ना राष्ट्रपति स्वतंत्र रहे ना मौलिक अधिकार कायम रहा। अब सवाल उठता है राहुल गांधी कैसे लाल किताब वाले संविधान में इस प्राण विहीन संविधान को डालकर अंबेडकर का संविधान कहें, उन्हें शर्म आती है और हमें अंबेडकर के नाम पर ही आम लोगों को बताना है। इसलिए राहुल गांधी अंदर के सारे पृष्ठ सादे रखकर उसे अंबेडकर का संविधान बताते हैं। वास्तव में इस संविधान में अब ना लोकतंत्र बचा है ना ही अंबेडकर का लिखा हुआ कुछ बचा है। इसमें नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के पूर्वजों का पूरा-पूरा योगदान रहा है। राहुल गांधी उसी संविधान को लेकर आज हम लोग के बीच में घूम रहे हैं।

19. पता नहीं कब सरकारे अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देंगी:

23 नवंबर प्रातः कालीन सत्र किसी सामाजिक विषय पर चर्चा। मिलावट रोकना एक सरकार का दायित्व है स्वैच्छिक कर्तव्य नहीं। किसी भी प्रकार की मिलावट जालसाजी और धोखाधड़ी मानी जाती है। यह पूरी तरह अपराध है और अपराधों से सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। आप विचार करिए की स्वतंत्रता के बाद आज मिलावट की क्या स्थिति है। बाजार में आपको कोई सामान शुद्ध मिलेगा इस बात की कोई विश्वसनीयता या गारंटी नहीं है। यहां तक की साहित्य में भी मिलावट हो गई है हमारे धर्म ग्रंथो में कितने मिलावट की गई, यह अभी हम साफ नहीं बता पाए लेकिन मिलावट हुई है यह बात निश्चित है। हमारे इतिहास को कितना तोड़ा मरोड़ा गया की हमारे भारत की बहुत बड़ी आबादी को विदेशी नस्ल बना दिया गया और तोड़ मरोडकर यहां आदिवासी गैर आदिवासी का एक नकली भेद खड़ा किया गया यह इतिहास की मिलावट है। वर्तमान समय में आप विचारों में कितनी मिलावट देख रहे हैं कि विचारों में किसी प्रकार की शुद्धता है ही नहीं। महंगाई का झूठ सत्य के समान स्थापित कर दिया गया है सत्य में असत्य की मिलावट कितनी है यह आप अपने दैनिक जीवन में राजनेताओं के भाषणों में देख सकते हैं। एक भी नेता ऐसा विश्वसनीय नहीं है जो सच बोलता होगा। आप विचार करिए की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने मिलावट जालसाजी और धोखाधड़ी के संबंध में कितनी सफलता पाई है उसका रिकॉर्ड क्या है। वर्तमान समय में ए आई तकनीक आई है उस तकनीक का लाभ अभी तक आम लोगों के बीच तो नहीं आ पाया है लेकिन आम लोग उससे खुलकर ठगी के शिकार हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एआई से बनाकर झूठे समाचार सच के रूप में प्रसारित हो रहे हैं। यहां तक की अभी तो यह भी पता चला है कि एक नकली न्यायालय खोलकर कोई व्यक्ति कई वर्षों से उस न्यायालय में दंड दे रहा है निपटारा कर रहा है एक नकली पुलिस अफसर एसपी बनकर कई वर्षों से काम करता रहा। नकली लोग किस तरह डिजिटल अरेस्ट के द्वारा हर व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक को यह कहना पड़ा कि आप लोग सावधान रहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है। इस पर मैंने विचार किया। मैंने यह पाया की जो काम सरकार को करना चाहिए उसको छोड़कर बाकी सब काम कर रही है। सरकार वेश्यालय रोक रही है तंबाकू रोक रही है शराब रोक रही है, जुआ रोक रही है, मिलावट नहीं रोक रही है, आतंकवाद नहीं रोक रही है। मेरे विचार से सरकारों की सोच में मिलावट हो गई है संविधान में मिलावट हो गई है सरकार की नियत में मिलावट हो गई है और इसीलिए आज देश में मिलावट का धंधा इतना फल फूल रहा है।

20. इन्हें राजनीति के मंथरा जैसी कुटनी क्यों न कहें:

भारतीय इतिहास में मंथरा का नाम आम लोग जानते हैं बालक से बड़े तक यह जानते हैं कि किस तरह मंथरा के प्रभाव में आकर कैकई ने पूरे दशरथ के परिवार को बर्बाद कर दिया था। मंथरा को एक कुटनी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान राजनीतिक वातावरण में भी यह बात साफ दिखती है कि संजय रावत दिग्विजय सिंह संजय सिंह बिल्कुल इस भूमिका में रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक बहुत ही सुलझा हुआ और शरीफ व्यक्ति माना जाता है उद्धव ठाकरे को पूरा महाराष्ट्र ही नहीं पूरा भारत सम्मान देता रहा है। उद्धव के मन में कभी भी किसी राजनीतिक सत्ता का लालच नहीं था लेकिन संजय रावत एक ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने उद्धव का पूरा भविष्य ही बर्बाद कर दिया और भूतकाल भी कलंकित हो गया। बेचारे उद्धव ठाकरे की जो दुर्दशा आज महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है वह इसी संजय रावत के कारण है। अभी आकर के जिस तरह की भाषा टीवी पर बोल रहा था उस भाषा से यह बिल्कुल साफ होता है की संजय रावत बहुत निर्लज्ज भी दिखते हैं। वैसे तो इस परीक्षा में दिग्विजय सिंह भी बहुत नामी हो चुके हैं भले ही अब उन्हें कोई नहीं पूछता। राजनीति में उद्धव ठाकरे दया के पात्र है लेकिन जब तक संजय रावत से मुक्त नहीं हो जाते तब तक दया दिखाना भी उचित नहीं है महाराष्ट्र की जनता ने जो निर्णय किया वह ठीक है। उद्धव ठाकरे को अब सत्ता की राजनीति से अलग हो जाना चाहिए वे या तो सत्ता विहीन राजनीति का नेतृत्व करें या समाज का मार्गदर्शन करें। नारद मोह की कहानी उद्धव ठाकरे को अवश्य सुननी चाहिए।

आज महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ अन्य विधानसभाओं के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं। महाराष्ट्र झारखंड और उत्तर प्रदेश पर सबकी ज्यादा नजर थी। महाराष्ट्र में खुलकर के संघ चुनाव लड़ रहा था वहां भाजपा का रोल बहुत कम था। संघ ने महाराष्ट्र को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और खुलकर हिंदू मुसलमान के बीच धुररुवीकरण किया गया। उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि वह मुसलमान को भी अपने साथ लेकर कुछ नया गुल खिलाएंगे लेकिन उद्धव ठाकरे की रही सही इज्जत भी चली गई संघ ने वहां के चुनाव में बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और यह सिद्ध कर दिया है कि भारत में हिंदुओं का संघ एकमात्र नेता है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी नेता सोरेन के सामने बहुत पीछे रह गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच थी। अखिलेश यादव मुस्लिम गुंडो के बल पर चुनाव लड़ रहे थे और योगी आदित्यनाथ सत्ता की ताकत पर चुनाव लड़ रहे थे। आश्चर्यजनक है की अखिलेश यादव ने इवीएम पर आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि बैलट पेपर से यूपी में चुनाव हुआ होता तो अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं मिल पाती। क्योंकि जिस तरह मुलायम सिंह चुनाव जीतते थे अगर इस तरह योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। किसी प्रकार भी वैलेट पेपर अब शुरू नहीं किया जा सकता और ना ही वैलेट पेपर के माध्यम से अखिलेश यादव कोई सीट जीत पाएंगे क्योंकि योगी नरेंद्र मोदी नहीं है। योगी जैसे को तैसा जवाब देना जानते हैं। अब अखिलेश यादव को इस बात पर विचार करना चाहिए कि मुस्लिम गुंडागर्दी के बल पर उत्तर प्रदेश को जीतना संभव नहीं है।

21. अनैतिक परिवेश में खोती जा रही सामाजिक शांति:

24 नवंबर प्रातः कालीन सत्र और सामाजिक विषयों पर चर्चा। हम वर्तमान दुनिया में नैतिकता के गिरते स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। सारी दुनिया में मानवता या नैतिकता का लगातार पतन हो रहा है। भौतिक उन्नति बहुत तेज गति से बढ़ रही है लेकिन नैतिकता उतनी ही अधिक तेज गति से गिर रही है। नैतिकता की सुरक्षा की पहल भारत को करनी चाहिए थी लेकिन भारत विचारों के मामले में कंगाल हो गया और वह दुनिया का मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है यही कारण है की सारी दुनिया की बुराइयां भारत में भी लगातार मजबूत होती जा रही है। इस नैतिकता के पतन की चिंता भारत को ही करनी होगी। हमें दो दिशाओं पर गंभीरता से सोचना होगा। चरित्र निर्माण की गति बढ़ानी होगी या चरित्र पतन को रोकना होगा। यह दोनों अलग-अलग विषय है। चरित्र निर्माण में गायत्री परिवार आर्य समाज संघ अथवा अन्य अनेक धार्मिक संस्थाएं बहुत मजबूती से कार्य कर रही है दूसरी ओर चरित्र पतन में राजनीति का योगदान सबसे ज्यादा है। यदि हम परिणाम देखें तो चरित्र पतन की गति कई गुना अधिक शक्तिशाली भी है और तेज भी है। ऐसी स्थिति में जो चरित्र निर्माण कर रहे हैं वह अपना कार्य करते रहे लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। हमें चरित्र पतन को और अधिक गंभीरता से रोकना होगा। यदि हम केवल साफ सफाई ही करते रहे तो गंदा करने वाले लोगों की भीड़ लग जाएगी और हम अंत में थक कर किनारे हो जाएंगे यही स्थिति भारत की दिख रही है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है की चरित्र निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं वे चलते रहें लेकिन हम जब तक राजनीति पर कोई नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक चरित्र निर्माण के भी पर्याप्त परिणाम नहीं मिलेंगे क्योंकि राजनीति लगातार चरित्र में गिरावट कर रही है और उसकी गति बहुत तेज है। इसलिए हम आप मिलकर चरित्र पतन की राजनीतिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करें।

22. आखिर भारत का मुसलमान चाहता क्या है?:

आज दोपहर के सत्र में हम इस बात की चर्चा करेंगे की संभल में न्यायालय के आदेश पर किसी मस्जिद का सर्वे करने जा रही टीम पर वहां के मुसलमानो ने हिंसक आक्रमण किया। कई पुलिस वालों को चोट लगी। पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। किसी तरह वहां सर्वे कराया जा सका। मुझे आश्चर्य होता है कि एक तरफ भारत का मुसलमान संविधान की दुहाई देता है, अंबेडकर का नाम लेता है, कानून के पालन करने की बात कहता है। दूसरी ओर संविधान तोड़ने में कानून का उल्लंघन करने में वह सबसे आगे भी रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानो से मुसलमान के पक्षकार अखिलेश यादव और राहुल गांधी से की संभल में न्यायालय के आदेश पर सर्वे करने वाली टीम पर आक्रमण करके किस संविधान को माना गया। क्या मुसलमान संविधान की मनमानी व्याख्या करेगा?क्या अब स्वतंत्र भारत में भी शरिया के आधार पर संविधान चलाएगा? यह एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है कि भारत का मुसलमान संविधान और कानून को मानेगा अथवा संविधान और कानून की मनमाना व्याख्या करेगा। मुझे संभल की घटना को देखकर इस बात की बहुत चिंता हो रही है कि आखिर भारत का मुसलमान चाहता क्या है?भारत में विपक्ष के नेता जिस संविधान की दिन-रात दुहाई देते हैं वे विपक्ष के नेता संभल के मामले पर चुप क्यों है?यदि न्यायालय गलत है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं और इसके बाद भी यदि न्यायालय गलत है तो आपको न्यायालय का निर्णय हर हालत में मानना ही होगा। आप न्यायालय के खिलाफ हिंसक टकराव नहीं कर सकते ना ही आपको किसी भी हालत में करने दिया जाएगा क्योंकि भारत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश या अफगानिस्तान नहीं है भारत, भारत है। मुसलमान को यह समझना पड़ेगा कि भारत, भारत है।

23. गज़ब कानून तोड़ने वालों के साथ कथित संविधान रक्षक:

कल महाराष्ट्र झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश बंगाल तथा कुछ अन्य स्थानों में मुख्य चुनाव या उपचुनाव संपन्न हुए। चुनाव में कौन जीता कौन हारा यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण बात यह दिखती है ये चुनाव किस बात का संकेत प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा और कश्मीर के भी चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव के बाद इन महत्वपूर्ण चुनावो से एक संदेश साफ जाता है की इतिहास 80 साल पहले की घटनाओं को दुहराना चाहता है। 80 वर्ष पहले इसी तरह चुनाव हुए थे मुसलमान ने एकजुट होकर मुसलमान या इस्लाम समर्थक उम्मीदवारों को जिताया था ध्रुवीकरण हुआ था एक तरफ थे हिंदू समर्थक लोग और दूसरी तरफ थे इस्लाम समर्थक लोग। उस चुनाव से विभाजन की नींव पड़ी थी। उसका जल्दी ही परिणाम हुआ देश भर में टकराव शुरू हुआ और अंत में देश का विभाजन हो गया। फिर से ठीक उसी तरह भारत का मुसलमान इतिहास दोहराना चाहता है। आपने कश्मीर में देखा होगा किस तरह एकजुट होकर मुसलमान ने मतदान किया आपने अभी बंगाल और झारखंड का भी नतीजा देखा होगा। बंगाल और बंगाल से सटे हुए पूरे झारखंड में लगभग एक ही लहर चली और उसका परिणाम भी आपके सामने आया दूसरी ओर आपने महाराष्ट्र में लहर देखी उत्तर प्रदेश में भी देखा लगभग हिंदू एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। इस तरह यह हिंदू मुसलमान का घातक धुररुवीकरण इतिहास दोहराना चाहता है लेकिन इस बार लगता है कि हिंदुओं ने सबक सीख लिया है मुसलमान इस बात को भूल रहे हैं कि जिस समय उन लोगों ने दंगे करके एकजुट होकर भारत का विभाजन कर लिया था उस समय और वर्तमान भारत में बहुत फर्क है उस समय भारत गुलाम था और दोनों के बीच झगड़ा कराने के लिए अंग्रेज बैठे हुए थे इस बार वैसी स्थिति नहीं है। इस बार भारत स्वतंत्र है इस बार भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है उस बार आपने हंगामा करके भारत का बंटवारा ले लिया था इस बार आपको उसके बदले क्या मिलेगा यह आपको खुद सोचना चाहिए। मैं मुसलमानों से फिर निवेदन करता हूँ की इतिहास को दोहराना छोड़ दीजिए इतिहास से कुछ सबक सीखिए। हिंदुओं ने सबक सीख लिया है।

24. सामाजिक समस्यायों का हो सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समाधान:

25 नवंबर प्रातः कालीन सत्र सामाजिक विषय पर चर्चा। व्यक्ति के जीवन में कई बार बीमारियां भी होती हैं परिस्थिति अनुसार किसी बीमारी का दवा भी की जाती है और किसी बीमारी की प्रातिक चिकित्सा भी होती है क्योंकि दवा मजबूरी में की जाती है और साधारण बीमारियों के लिए टॉनिक या अन्य समाधान किए जाते हैं। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो उच्च सिद्धांत वादी होते हैं वह हमेशा कहते हैं कि मैं दवा खाता ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रातिक चिकित्सा पर विश्वास नहीं है वह हर छोटी-छोटी बीमारी में दवा खाते हैं। मेरे विचार से यह दोनों तरह की जिद गलत है। परिस्थिति अनुसार हमें दवा भी खानी पड़ सकती है और परिस्थिति अनुसार बिना दवाई के भी काम चल सकता है। जिस तरह शरीर की रचना होती है उस तरह सामाजिक संरचना भी होती है। समाज में भी कई बार कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है, जिन समस्याओं का कभी इलाज भी करना पड़ता है और कभी स्वाभाविक रूप से भी ठीक होती है। इसलिए हमें हमेशा सैद्धांतिक पक्ष और व्यावहारिक पक्ष दोनों का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जो लोग सैद्धांतिक पक्ष पर ज्यादा मजबूती से डट जाते हैं वह भी उचित नहीं है और जो लोग सैद्धांतिक पक्ष को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं वह भी उचित नहीं है। किसी भी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष दोनों का स्थिति अनुसार निर्णय करना चाहिए। इस विषय पर हम कल आगे और चर्चा करेंगे।

25. कुंदरकी विधानसभा से मिले बदलाव के संकेत ने बदली राजनीति की बयार:

वर्तमान यूपी चुनाव में पूरी दुनिया में कुंदरकी की चर्चा बहुत अधिक हो रही है। हर आदमी आश्चर्यचकित है की संभल लोकसभा के कुंदरकी विधानसभा में मुसलमानों मुसलमान के आधे से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। यह ही नहीं महाराष्ट्र में भी कई जगह मुसलमान के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। मैं रायपुर शहर में रहता हूँ रायपुर शहर के विधानसभा के उपचुनाव में भी कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। यह बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला और इसका कारण यह पाया जा रहा है कि मुसलमानों का एक छोटा सा पढ़ा लिखा वर्ग इस बात को महसूस कर रहा है कि हिंदुओं का एकजुट हो जाना मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा है और मुसलमानों एकजुट होकर इस हिंदुओं की एकजुटता का मुकाबला नहीं कर सकेगा। उनके अंदर यह बात भी फैल रही है कि यदि कहीं भारत से जाने की बात आएगी या हिंदुओं ने बहिष्कार करना जारी रखा जैसा अभी दिख रहा है तो यह भारत का मुसलमान कहां जाएगा। पाकिस्तान जाएगा कि बांग्लादेश जाएगा कि अफगानिस्तान जाएगा कहां जाएगा अपने बच्चों को लेकर। क्योंकि कट्टरपंथी तो कहीं भी चले जाएंगे शांति से जीवन जीने वाले लोगों के लिए भारत के अलावा कहीं जगह नहीं है। यह बदलाव बहुत गंभीर हुआ और इस सोच से इन उपचुनाव में एक बदलाव की लहर दिखाई है। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, संघ परिवार, आदित्यनाथ यह लगातार ताकतवर होते जाएंगे और मुसलमानों को इस विषय पर सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं व्यावहारिक धरातल पर सोचना चाहिए। दूसरी ओर इस संभल क्षेत्र में जहां कुंदरकी में यह बदलाव दिखा वही अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अधिक चिंता व्यक्त की और साथ में उन्होंने यह महसूस किया कि अब यदि मुसलमान शांत हो जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा इसलिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि योजना बनाकर यह दंगा करवाया कि किसी तरह यह हिंदू और मुसलमानों का मामला कमजोर न पड़े और मुसलमान एकजुट रहे। अन्यथा आप गंभीरता से सोचिए कि कुंदरकी उपचुनाव के पहले सर्वे में कोई हिंसा नहीं हुई थी कोई टकराव नहीं हुआ था चुनाव के बाद तत्काल ही ऐसी हिंसा की घटना कैसे हो गई। मुसलमान के अंदर विभाजन राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बहुत परेशान कर रहा है संभल का दंगा इसका स्पष्ट प्रमाण है। यह बात भी साफ हो रही है कि मरने वाले पुलिस गोली से नहीं बल्कि मुसलमानों की गोलियों से ही मारे गए हैं। यह भी एक बहुत आश्चर्य की बात है। अब कट्टरपंथी मुसलमान और मुसलमानों के समर्थक राहुल अखिलेश मुसलमानों के इस विभाजन से बहुत परेशान है।

26. हमें विश्वामित्र की भूमिका निभानी होगी:

26 नवंबर प्रातः कालीन सत्र सामाजिक विषय पर चर्चा। यह बात पूरी दुनिया में सिद्ध हो गई है की हिंदुत्व ही सारी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है क्योंकि हिंदुत्व के पास ही विचार और संस्कार दोनों का संतुलन है। हिंदुत्व का वर्तमान विश्व में एकमात्र केंद्र भारत है इस तरह भारत को इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। विचारनीय प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में क्या हिंदुत्व संकट में है?क्या आपातकालीन परिस्थितियां हैं?इस विषय पर दो अलग-अलग राय हैं। एक विचार यह है कि भारत में हिंदुत्व संकट में है क्योंकि भारत में वैचारिक हिंदुत्व लगभग बंद है। इस्लाम तथा इसाईयत लगातार धर्म परिवर्तन के माध्यम से संस्कारित हिंदुओं की संख्या घटा रहे हैं विभाजन का खतरा पैदा हो गया है। दूसरा मत यह है कि नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आ जाने के बाद अब हिंदुत्व की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। अब वैचारिक हिंदुत्व को आगे जाकर दुनिया का मार्गदर्शन करना चाहिए सुरक्षा की चिंता अभी नहीं है। इन दोनों बातों में दम है। हम चाहते हैं की जिस तरह यज्ञ में राम ने सुरक्षा की गारंटी दी थी और विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे इस तरह अब मोदी जी हमारी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम वैचारिक हिंदुत्व को बढ़ावे। किंतु यदि किसी परिस्थिति में मोदी, योगी, भागवत की ताकत को चुनौती दी जाती है तो जिस तरह राम को युद्ध करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने शस्त्र दिए थे शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उसी तरह हमें हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी भागवत और योगी की टीम को भी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्पष्ट है कि हम विचारक हैं और हमें दोनों दिशाओं में अपनी सक्रियता और तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। जब तक संभल जैसी घटनाएं होती रहेगी तब तक हम सब लोगों को पूरा सावधान रहना है। हमारी एक ही सोच रहनी चाहिए कि जब तक हिंदुओं को भी भारत में बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता, तब तक हम विचारक भी सावधानी से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह सावधानी भी आवश्यक है कि हम कहीं विश्वामित्र का कार्य छोड़कर राम का कार्य न करने लग जावे अर्थात हम विचारक हैं विचारक ही रहेंगे। हम समय-समय पर राम की बाहर से मदद कर सकते हैं लेकिन राम बनने का प्रयास नहीं करेंगे।

27. मुस्लिम वोट बैंक का उपयोग करने वालों का हो सामाजिक बहिष्कार:

विधानसभा के चुनाव और उपचुनावों के परिणाम के बाद हिंदू मुस्लिम संबंधों पर नया भ्रम पैदा हो गया है। क्या मुसलमानों का एक छोटा ग्रुप हिंदुओं से संबंधों पर नए ढंग से सोच रहा है? इस विषय में कुंदरकी और रायपुर में मुसलमान के बड़े समूह द्वारा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए जाने से यह नई स्थिति दिखने लगी है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने भी यह बात साफ की है की वर्तमान चुनाव में हिंदू एकजुट हुआ है। योगी आदित्यनाथ का नारा बंटोगे तो कटोगे ने बहुत प्रभाव डाला है। हिंदुओं की इस एकजुटता के साथ-साथ यह बात भी साफ दिख रही है कि हिंदुओं ने चुपचाप मुसलमानों से नफरत करना शुरू कर दिया है। मुसलमानों को धीरे-धीरे नौकरियों से किनारे किया जा रहा है। उनके साथ सामाजिक व्यवहार में भी बहुत दिक्कत आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों की रोजी-रोटी की भी समस्या बढ़ रही है। यह बात वैसे तो देश के कई भागों में सुनाई दे रही है। लेकिन अब इस संबंध में गंभीर बात यह है की क्या मुसलमानों के अंदर आए हुए इस बदलाव का हिंदुओं को स्वागत करना चाहिए अथवा अपनी एक जुटता को और अधिक मजबूत करना चाहिए। यह प्रश्न गंभीरता से खड़ा हुआ है कि मुसलमानों में यह बदलाव उनका अपना भविष्य को देखते हुए हैं अथवा उनके अंदर वास्तविक बदलाव है। अभी इस संबंध में कोई निर्णय करना बहुत जल्दबाजी होगी। मेरे विचार से वर्तमान परिस्थितियों में हिंदुओं को अपनी एकजुटता और अधिक बनाए रखनी चाहिए, जिससे कट्टरपंथी मुसलमानों का प्रभाव शांतिपूर्ण मुसलमान पर से घट सके और मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर आ जाए। इस समय में हिंदुओं को एक जुट होकर मुसलमानों के सामने यह मांग रखनी चाहिए। जब तक आप हिंदुओं को बराबरी का अधिकार नहीं देंगे तब तक हमारा दबाव और एक जुटता बढ़ती रहेगी चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। यदि हम यह संदेश दे सके तो मेरे हिसाब से इस संदेश के माध्यम से राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बहुत दबाव पड़ेगा क्योंकि राहुल और अखिलेश ही मुसलमानों के बीच विभाजन से बहुत अधिक चिंतित हैं। राहुल और अखिलेश दोनों यह कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों के बीच किसी तरह का विभाजन हो और हिंदू एकजुट हो या मजबूत हो। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि वर्तमान समय में तवा गरम है और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को और अधिक एक जुटता दिखानी चाहिए। यदि इस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव का सामाजिक बहिष्कार हो सके तो सबसे अच्छा समाधान होगा।

28. व्यवस्था की गलतियों को समाज के सर मढ़ने की कोशिश:

27 नवंबर प्रातः कालीन सत्र सामाजिक विषय पर चर्चा। यह बात अच्छी तरह मालूम है की सारी दुनिया या कम से कम भारत में प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा बढ़ रही है। विचारणीय यह है कि व्यक्ति के स्वभाव में यह बुराई प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है या व्यवस्था गड़बड़ हो गई है। यदि आप गंभीरता से सोचेंगे तो व्यक्ति पर कई प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रभाव पड़ रहा है उसमें राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था है धार्मिक व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था है आर्थिक व्यवस्था है विश्व व्यवस्था है अन्य व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। यदि आप ठीक से आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि राजनीतिक, धार्मिक, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक या विश्व व्यवस्था सब में बुराइयां आई है और सभी व्यवस्थाओं का दुष्प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर पड़ रहा है। व्यक्ति गड़बड़ नहीं है व्यक्ति में हिंसा और स्वार्थ नहीं बढ़ रहा है बल्कि व्यवस्थाओं का दुष्प्रभाव व्यक्ति पर पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य है कि हम व्यक्ति को गलत बता रहे हैं जबकि गलती है व्यवस्था की। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि गलती व्यक्ति की नहीं है। हम व्यक्ति को गलत बताकर उसके चरित्र निर्माण का प्रयास कर रहे हैं इसलिए परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीमारी है व्यवस्था में और इलाज कर रहे हैं हम व्यक्ति का। इस विषय पर गंभीरता से समझने की जरूरत है।

29. राजनीति में मुर्ख का संचालन धूर्त करते हैं:

भारतीय राजनीति में सत्ता दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरी तरह स्वतंत्र फैसला ले सके। नरेंद्र मोदी के निर्णय के साथ मोहन भागवत की सहमति भी आवश्यक है। मोहन भागवत भी अकेले कोई निर्णय नहीं ले पाते। नरेंद्र मोदी पूरी तरह स्वतंत्र फैसला नहीं ले सकते। लेकिन विपक्ष में कई नेता ऐसे हैं जो स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं ऐसे नेताओं की संख्या दर्जनों में है। इन सब के बीच दो लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक शरीफ माने जाते हैं। उनमें एक है राहुल गांधी और एक है उद्धव ठाकरे। इन दोनों में बहुत अधिक शराफत है समझदारी का अभाव है। यह दोनों पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय लेते दिखते हैं लेकिन इनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। जहां राहुल गांधी के सारे फैसले कम्युनिस्टों के द्वारा लिए जाते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे के सारे फैसले संजय रावत के द्वारा लिए जाते हैं। राहुल तथा उद्धव अप्रत्यक्ष रूप से आंख बंद करके इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। नई राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा लक्षण साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी अगले एक दो वर्षों में ही अपनी बागडोर प्रियंका को सौंप देंगे, क्योंकि राहुल को किसी सत्ता का मोह नहीं है। उद्धव ठाकरे भी धीरे-धीरे इस संबंध में सोच सकते हैं, यद्यपि अभी कोई साफ बात नहीं आई है। राहुल ने किस तरह कांग्रेस को डुबाया, यह बात जग जाहिर हो चुकी है। ईवीएम का मुद्दा इतना मूर्खतापूर्ण है कि कोई एक भी व्यक्ति इवीएम पर संदेह नहीं कर सकता। हर भारतीय यह जानता है कि जब पुराने जमाने में मतदान होता था तो कितनी हिंसा कितना भ्रष्टाचार होता था आज उसका एक चौथाई भी नहीं है लेकिन राहुल नामक मूर्ख दिन-रात इवीएम की बात कहता है। जिस पर भारत के किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं है। आज भी यह मूर्ख इवीएम की ही रट लगाए हुए हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट तक कई बार इस विषय को साफ कर चुका है। अन्य विपक्षी दलों के लोग भी राहुल के पीछे चलने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि राहुल के पीछे कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस के पीछे विपक्षी दल मजबूर है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति इवीएम के खिलाफ संदेह व्यक्त करता है वह पूरी तरह धूर्त है या उसे धूर्त के पीछे चलने की मूर्खता या मजबूरी है। मैंने बहुत विरोधियों से इवीएम के बारे में बात की। वह इवीएम का खुला विरोध करते हैं लेकिन व्यक्तिगत चर्चा में वह इवीएम के खिलाफ नहीं बोल पाते। मेरा राहुल गांधी से निवेदन है कि वह यदि कांग्रेस को बचाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी प्रियंका को बागडोर दे दे उतना कांग्रेस और विपक्ष के हित में होगा। राजनीति किसी शरीफ या मूर्ख का काम नहीं है।

30. तंत्र मुक्त संविधान हमारा सैद्धांतिक लक्ष्य:

28 नवंबर प्रातः कालीन सत्र सामाजिक चर्चा। हम मार्गदर्शक हैं हम समाज के पीछे चलने वाले नहीं समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी कुछ अन्य लोगों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी बनती है। हमें लगातार इस विषय पर सोचना होगा की सिद्धांत और व्यवहार के बीच हमारा तालमेल बना रहे। यदि हम उच्च सिद्धांतवादी बन जाएंगे तो समाज से अलग-थलग कर दिए जाएंगे हमारा सम्मान तो बढ़ जाएगा किंतु समाज उस दिशा में नहीं चलेगा। यदि हम बहुत अधिक व्यावहारिक हो गए तब समाज का उचित मार्गदर्शन नहीं हो सकेगा। भीड़ तो हमारे साथ हो जाएगी लेकिन सामाजिक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हमें लगातार दोनों दिशाओं में संतुलन बनाकर रखना होगा। हम चर्चा के आधार पर सिद्धांतों की भी चर्चा करते रहेंगे साथ ही समाज के व्यवहारिक मार्ग पर भी समझौता करते रहेंगे। हम मानते हैं कि भारत में संविधान पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए तंत्र के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए यह हमारा सैद्धांतिक पक्ष है। हम इस सिद्धांत के पक्ष को कभी नहीं छोड़ सकते लेकिन एक इसका व्यावहारिक पक्ष भी है कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में हमारी इस मांग से बहुत पीछे हटकर कोई एक तरीका निकलता है जिसमें तंत्र सहमत हो जाता है तो हम अपने सिद्धांत की चर्चा करते हुए भी उस व्यावहारिक पक्ष के साथ समझौता करने को तैयार है। हम मानते हैं कि सभी प्रकार का आरक्षण समाप्त होना चाहिए लेकिन यदि इस बात पर भी समझौता हो कि आदिवासी दलित में से जो लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं और जिनकी स्थिति ठीक हो गई है उन्हें अब आदिवासी हरिजन नहीं माना जाएगा तब भी हम समझौता करने के लिए तैयार है। हम मानते हैं की कृत्रिम उर्जा का मूल्य ढाई गुणा करके सभी आर्थिक समस्याओं का हल निकाल लिया जाना चाहिए लेकिन यदि वर्तमान समय में गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कृषि उत्पादकों पर से सभी प्रकार के टैक्स समाप्त कर दिए जाएं तब भी हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम अल्पकाल के लिए समझौता तो हर मामले में कर लेंगे लेकिन अपने सिद्धांत पर जन जागरण हम हमेशा जारी रखेंगे। हम अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मेरा अपने मित्रों से निवेदन है कि हमें सिद्धांतों और व्यवहार के बीच तालमेल बनाए रखना चाहिए।

31. धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर एकजुट होना गलत:

29 नवंबर प्रातः कालीन सत्र सामाजिक चर्चा। वर्तमान दुनिया में सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो गई है धर्म के आधार पर समाज में संगठन बना बनाकर आपस में वर्ग विद्वेष बढ़ाना राजनीतिक दलों का सबसे आसान तरीका हो गया है। दुनिया में जितनी हत्याएं अपराधी नहीं करते हैं उससे कई गुना अधिक धर्म के नाम पर होती है। धर्म के नाम पर देश के विभाजन होते हैं धर्म का वास्तविक अर्थ बदल दिया जाता है धर्म कभी संगठन नहीं होता धर्म व्यक्तिगत आचरण होता है हमारी जीवन पद्धति होती है। धर्म का संबंध मानवता से जुड़ा होता है लेकिन वर्तमान समय में धर्म के बदले हुए रूप ने पूरी समाज व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। वर्तमान भारत में भी जिस तरह धर्म के आधार पर राष्ट्र और समाज के बंटवारे का प्रयत्न हो रहा है वह प्रयत्न बहुत घातक है लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि इसका समाधान क्या है। यदि हम लोग शराफत के नाम पर इस्लाम को संगठन शक्ति का लाभ उठाने दें तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सैद्धांतिक रूप से यह आवश्यक है कि हमें धर्म के नाम पर एकजुट नहीं होना चाहिए लेकिन व्यावहारिक धरातल पर हमें उन लोगों को अवश्य ही रोकना चाहिए जो लोग धर्म के आधार पर संगठन बना रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में हमारे लिए एक ही सुरक्षित मार्ग है कि जो लोग धर्म के आधार पर संगठित हो रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हम अन्य सभी धर्म के लोग एकजुट हो जाएं। वर्तमान समय में हमारी सामाजिक व्यवस्था उन लोगों के कारण संकट में आ गई है जो धर्म के नाम पर संगठन बना रहे हैं इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि हम सामाजिक एकता पर जोर दें और धार्मिक एकता का समर्थन न करें।

32. राहुल गाँधी और पुतिन की धमकियों का कोई अस्तित्व नहीं:

मैं पिछले दो-तीन वर्षों से दो लोगों को लगातार देख रहा हूँ, एक है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। एक छोटा सा राष्ट्र यूक्रेन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहां तक कि रूस जो दुनिया का इतना ताकतवर देश माना जाता है। वही रूस पिछले दो वर्षों से प्रतिदिन एटम बम और परमाणु बम की धमकी देता रहता है। आज भी उसने धमकी दी है, दुनिया का विनाश कर सकता हूँ। मैं एटमिक शक्ति का प्रयोग करूंगा। लेकिन आश्चर्य है कि ना उसकी धमकी से यूक्रेन पर कोई असर पड़ रहा है, न सारी दुनिया पर कोई असर पड़ रहा है क्योंकि धमकी देना पुतिन की पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है। धीरे-धीरे यूक्रेन के मामले में तो सारी दुनिया जान गई है कि पुतिन झूठी धमकी देकर के ही डराने के आदतन व्यक्ति है। एक दूसरे व्यक्ति है भारत में हमारे राहुल गांधी। राहुल गांधी एक छोटे से उद्योगपति अडानी जिसकी कोई गिनती नहीं है, एक मामूली उद्योगपति है। उसको वर्षों से सारी ताकत लगा रहे हैं, यहां तक कि राहुल गांधी ने सोरेस और हिडनबर्ग को भी बुला लिया। पता नहीं राहुल ने क्या-क्या प्रयत्न कर लिए, लेकिन सारे प्रयत्न करने के बाद भी अदानी आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। आज भी उसके शेयर लगभग स्थिर है। हर बार जब राहुल जोर से आक्रमण करते हैं, ऐसा दिखता है कि इस बार तो अदानी गए। लेकिन फिर 4 दिन के बाद वही अदानी खड़े दिखते हैं और राहुल किसी नए आक्रमण की तैयारी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि यह मूर्ख लोग धमकी देकर के अगर किसी को डराना चाहते हैं, तो भविष्य में इनकी क्या इज्जत रहेगी यह इन्हीं को सोचना है। पुतिन की इज्जत भी हम देख रहे हैं और राहुल की इज्जत भी हम देख रहे हैं। मेरा इन दोनों से निवेदन है कि अगर काटने की ताकत है तो काट के दिखाओ अन्यथा कुत्तों शरीखे भोंकने से कोई इज्जत बढ़ने वाली नहीं है।

33. संवैधानिक व्यवस्था पर भी चिंता करने की जरूरत:

30 नवंबर प्रातः कालीन सत्र सामाजिक विषय पर चर्चा। प्रकृति की-अपनी संरचना पर हम विचार कर रहे हैं। जिस तरह हमारा यह शरीर है इस तरह हमारे परिवार व्यवस्था भी है और ठीक उसी तरह हमारी समाज व्यवस्था भी है। हमारे शरीर के संचालन में कई प्रमुख अंगों की भूमिका होती है उसमें हृदय होता है किडनी होती है फेफड़े होते हैं और भी कई अंग होते हैं। इस तरह परिवार व्यवस्था में भी कई सदस्य होते हैं और इन सब सदस्यों की भूमिकाएं भी अलग-अलग होती है सबका योग्यता क्षमता जीवन जीने का ढंग सब अलग-अलग हो सकता है। इसी तरह समाज में भी होता है पूरा समाज में धर्म व्यवस्था भी होती है राजनीतिक व्यवस्था होती है अर्थव्यवस्था भी होती है और इन सबको मिलकर समाज व्यवस्था चलती है। जिस तरह शरीर के किसी अंग में यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका अन्य अंगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और उस बुरे प्रभाव का पूरे शरीर को नुकसान होता है। परिवार व्यवस्था में भी कोई एक व्यक्ति शराबी हो जाए या बहुत गलत दिशा में चलने लगे तो पूरा परिवार उससे परेशान हो जाता है। ठीक यही हाल समाज व्यवस्था का भी है। यदि धर्म व्यवस्था में विति आ जाए, तब भी पूरे समाज को नुकसान होता है। राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, यदि अर्थव्यवस्था में विकृत हो जाए, तब भी पूरे समाज को नुकसान होता है। यदि वर्तमान हम सामाजिक व्यवस्था की समीक्षा करें तो हमारी धर्म व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, परिवार व्यवस्था सब में विकृतियां आई है, लेकिन सबसे अधिक विकृति हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आई है सच बात यह है की संवैधानिक व्यवस्था के बिगड़ जाने के कारण हमारी धार्मिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ी है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि हम धार्मिक आर्थिक या अन्य व्यवस्थाओं की चिंता ही ना करें हम धार्मिक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी व्यवस्थाओं की बुराइयों पर भी सोचे लेकिन संवैधानिक व्यवस्था की चिंता को किनारे करके नहीं। आप गंभीरता से सोचिए कि हम किसी पंडाल में बैठकर यज्ञ कर रहे हैं और आज यदि वहां आग लग जाए तो हम यज्ञ को बंद करके आग बुझाने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान समय में संवैधानिक व्यवस्था इतनी अधिक खराब हो गई है कि हमारे समाज के सभी अंगों को मिलकर संवैधानिक व्यवस्था को सबसे पहले नियंत्रित करना चाहिए। हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने संविधान को गुलाम बनकर सारी समस्याएं पैदा की हैं इस समस्या का एक ही समाधान है सिर्फ एक समाधान कि हम अपने संविधान को राजनीतिक गुलामी से मुक्त करा ले।

अपनों से अपनी बात

34. सत्य संभाषण को दुरुह बनाती राजनीतिक व्यवस्था:

आज 17 नवंबर को प्रातः काल हम सत्य पर चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन दो-तीन विषयों पर कुछ ना कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप में लिखता हूँ। मैं आपको आस्वस्त करता हूँ कि मैं जो भी लिखता हूँ, वह सत्य ही लिखता हूँ। कभी कोई भी बात किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं लिखता, इसका मुझे भरपूर लाभ हुआ है। दुनिया में सत्य बोलने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। भारत में तो यह संख्या लगभग एक प्रतिशत के आसपास भी पहुंच गई है, या हो सकता है इससे भी और नीचे चली गई हो। यदि इसके कारणो पर गहराई से विचार किया जाए, तो इसका सबसे बड़ा कारण है 'भारत की राजनीतिक स्थिति'। राजनीति में सत्य बोलने वालों का प्रतिशत शून्य हो गया है, दूसरी ओर हमारी राजनीतिक व्यवस्था ने इतने अधिक कानून बना दिया हैं कि व्यक्ति सत्य बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है। न्यायालय में तो कोई सत्य बोलता ही नहीं, समाज में कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं, जो अभी भी सत्य बोलते हैं लेकिन सत्य बोलने वालों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ऐसे समय में मैंने सत्य के महत्व को समझा। मैं यह महसूस करता हूँ कि सत्य बोलना बहुत कठिन कार्य है लेकिन सत्य का महत्व भी बहुत ज्यादा है। मैंने अपने जीवन में सरकारी कार्यों को छोड़कर हर मामले में चाहे वह पारिवारिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो सभी जगह सत्य ही बोला, कहीं असत्य बोला ही नहीं। मुझे कठिनाइयां तो हुई लेकिन उसका मुझे बहुत लाभ भी मिला। वर्तमान भारत को अब सत्य का महत्व बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए सत्य बोलने वालों की पहचान होनी चाहिए, साथ ही सरकार के अनावश्यक कानून को भी हटाने की जरूरत है, जिससे लोग झूठ बोलने के लिए मजबूर ना रहे।

35. मेरे जीवन का आदर्श:

18 नवंबर प्रातः कालीन सत्र में मैं कुछ व्यक्तिगत चर्चा कर रहा हूँ। कल मैं आपको बताया था कि मैंने अपने जीवन में अधिकतम सत्य का उपयोग किया। आज मैं आपको यह बता रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में पूरी तरह अहिंसा का पालन किया। मैं बचपन से ही ब्राह्मण बन गया था अहिंसा और सत्य मेरे सर्वोत्तम आदर्श हो गए थे। मैं बचपन से ही हिंदुत्व के कठोर आदर्श पर चलना शुरू कर दिया था। मैंने अपने जीवन में कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया लेकिन व्यवहारिक जीवन में स्थिति अनुसार मैंने प्राथमिकताओं से समझौता किया। मैं बचपन से ही साम्यवाद को सबसे अधिक खतरनाक माना इसलिए मैंने बचपन से ही नेहरू का पूरा विरोध किया और गांधी का खुलकर समर्थन किया। मैं यह मानता रहा कि गांधी की हत्या पूरी तरह राजनीतिक और साम्यवादी षड्यंत्र के अंतर्गत हुई थी। भले ही हत्या करने वाला हिंदू था लेकिन उसका अवश्य ही किसी न किसी रूप में नेहरू जी से भी संबंध रहा होगा, क्योंकि नेहरू गांधी जी को किनारे करना चाहते थे। मैंने हमेशा सावरकरवादियों का विरोध किया और आज भी करता हूँ। अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं पूरी तरह निष्पक्ष रहा, कांग्रेस विरोधी नहीं रहा नेहरू परिवार विरोधी रहा। मैंने लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव का भी खुलकर समर्थन किया। मनमोहन सिंह के पक्ष में तो हमेशा खड़ा रहा क्योंकि मैं अमेरिका ब्रिटेन और पूंजीवादी लोकतंत्र का पक्षधर हूँ। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन के प्रारंभ में जो सिद्धांत बनाए थे, आज तक उन पर कायम हूँ। आज तक मैं नेहरू परिवार, साम्यवाद और कट्टरवादी इस्लाम का विरोधी हूँ और आज भी हूँ। मैं मुसलमान के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने का पक्षधर नहीं हूँ, मैं तो इस्लामी मान्यता के खिलाफ सारी दुनिया को एकजुट देखना चाहता हूँ। क्योंकि इस्लामी मान्यताएं समाज के लिए घातक हैं, मुसलमान नहीं। इसलिए आज भी मैं हिंदू एकता के पक्ष में नहीं हूँ बल्कि धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हूँ। इस विषय को हम कल समाप्त करेंगे।

36. पक्षपात रहित होने का अर्थ है वर्ग समन्वय:

19 नवंबर प्रातः कालीन सत्र और व्यक्तिगत विषय पर आज अंतिम दिन की चर्चा। मैंने अपने जीवन में अधिकतम सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया मुझे हमेशा समाज के सामने मार्गदर्शन करना पड़ता था। बचपन से ही मैं इस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। मैं हमेशा निष्पक्ष रहता था यथायोग्य व्यवहार करता था। मैं हमेशा दो तरह के व्यवहार करता था यदि मुझे महिलाओं के बीच में बोलना है तो मैं महिलाओं को पुरुषों के प्रति उनके कर्तव्य बताता था और पुरुषों के सामने बोलना होता था मैं उन्हें महिलाओं के प्रति उनके कर्तव्य बताता था। कभी मैंने उनके सामने अधिकार नहीं बताएं। अंबेडकर वादियों के सामने अंबेडकर की गलतियां बताता था और जब अंबेडकर के विरोधियों के सामने बैठता था तो अंबेडकर की अच्छाइयां भी बताता था। मैं मुसलमानों के बीच में मुसलमान की गलतियां बताता था और हिंदुओं के बीच में हिंदुओं की गलतियां बताता था। इस तरह मैं हमेशा ही वर्ग समन्वय को महत्व दिया क्योंकि वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष सबसे अधिक घातक होता है। यदि कहीं संयुक्त मीटिंग होती थी जिसमें सब प्रकार के लोग रहते थे उनके बीच में मैं संतुलित बोलता था, पक्षपात पूर्ण नहीं। मैं जब सामान्य लोगों के सामने बैठा तो उनके सामने कर्तव्य बताता हूँ लेकिन जब विद्वानों के बीच बैठता हूँ तब उनके सामने तर्क की बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सामान्य लोग तर्क से नहीं समझते उन्हें भावना से समझाना पड़ता है और विचारक तथा विद्वान हमेशा तर्क की बात समझते हैं। इस तरह का दो तरह का आचरण सीखना हमारे विद्वानों को आवश्यक हो जाता है। मैंने जीवन भर इसका निर्वाहन किया है। मैं अपने देश के विचारको और विद्वानों को सलाह देता हूँ कि वह इस प्रकार की भाषा के महत्व को समझे। हमें यह बात अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए की सत्य को किस स्वरूप में किस परिस्थिति में किसके सामने रखना समाज के हित में है। सामाजिक व्यवस्था और समाज का संतुलन बनाए रखना साथ ही सत्य और अहिंसा के साथ तालमेल करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है।

पत्रोत्तर-

1) भेरूलाल जैन- हुबली धारवाड़ कर्नाटक-

सुझाव- प्रतिनिधि या वार्ड पंच अगर सही चुना जाए तो विकास एवं जन सामान्य की समस्याओं का निवारण हो सकेगा। प्रत्येक वार्ड में एक व्यक्ति को सर्वमान्य कर वार्ड पंच बनाया जाए। वोट की राजनीति एवं चुनाव प्रक्रिया में जो दोष है उन्हें वार्ड को जनता मिलकर नष्ट करें।

एक बार एक एस॰टी॰एस॰सी॰(ैजै्ब्) का व्यक्ति अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र लेने तहसील में गया। तहसील ने उसे अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया। उस व्यक्ति ने अपने जनप्रतिनिधि को इस बारे में फोन किया।

जनप्रतिनिधि ने जिला अधिकारी को फोन किया और कहा कि यह तो जनता के साथ अन्याय है, संवैधानिक अवहेलना है। जिला अधिकारी ने कानून को जानकर तुरंत तहसीलदार को फोन किया और कहा कि आप उसका जन्म प्रमाण पत्र तुरंत उसके घर पहुंचाएं अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। तुरंत उसका जन्म प्रमाण पत्र उसके घर पहुंचाया।

जन अधिकारी और जनता जागरूक बने। कानून नियमों को जाने। कृपया प्रत्योत्तर की अपेक्षा है।

उत्तर- आपने जो लिखा है वह बहुत उच्च सिद्धांत का तो है लेकिन अव्यावहारिक है। यदि कोई भी निर्वाचित या सरकारी कर्मचारी इस तरह की शुरुआत करेगा तो एक सप्ताह के अंदर ही उसके पास इतनी भीड़ हो जाएगी कि उसका कार्य करना ही असंभव हो जाएगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि कार्य सब लोगों के बीच विभाजित और सीमित ही रहना चाहिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ।

2) शिवदत्त,बाघा, बांदा , उत्तर प्रदेश-

प्रश्न- आज की दुनिया में जनतांत्रिक मुल्कों ने समाज के महत्व को बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह सिद्ध करके दिखा दिया कि जनता ही सरकार की नियोक्ता है। भले ही व्यवहारिक रूप में आम आदमी को यह रुतबा हासिल नहीं है और सारे राजनेता ओहदेदार एवं सरकार यह सिद्ध करते हो कि आज भी वे जनता के माई-बाप, समाज व राष्ट्र के स्वामी कर्ता-धर्ता है। अगर प्रत्यक्ष मतदान के जरिए आज जनता यह न देख रही होती की सत्ता उसी के वोट से मिलती है या छीनी जा सकती है तो निश्चित रूप से समाज शासक को अपना प्रभु स्वीकार करने के लिए विवश हो जाता जैसा कि पिछली सदियों में उसने इसी दास भाव से अपने दिन गुजारे। आपका यह कथन बिल्कुल सच है कि आज के इंसान के जीवन से सत्य एवं ईमान गायब है। मिथ्या आचरण व मिथ्या संवाद से किसी को भी परहेज नहीं है। तभी लोग बड़े-बड़े पदों में बैठकर नि:संकोच भाव से देश व समाज को लूट रहे हैं, बड़े-बड़े घोटाले कर रहे हैं। डेढ़ से 2 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले; भारत जैसी पवित्र भूमि को कलंकित कर रहे हैं। मुखौटाधारी लोकतंत्रवादी समाज को निरंतर कमजोर करने में लगे हुए हैं। वह अवाम को अपनी मुट्ठी में रखने के खातिर मुफ्तखोरी, हरामखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों के कान खुजाने तक की जिम्मेदारी अपने हाथों में सरकार ने ले रखी है। किसान को कंगाल बनाए रखने की सारे दलों ने कसम खा रखी है। बैंकों के माध्यम से किसान से चक्रवर्ती ब्याज वसूला जा रहा है, जिसके चलते अब तक 30000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कितने ही किसानों की षि भूमि कर्ज न चुकाने की स्थिति में नीलाम कर किसान परिवारों को सड़क में छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ देश के 15 संपन्न घरानों का 16000 करोड रुपए का ऋण माफ किया सरकार ने। किसान ने अपनी कम लागत वाली परंपरागत खेती छोड़कर, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के इस नारे पर “युद्ध के दो मोर्चे- एक खेत, एक खाई”, “जय-किसान, जय-जवान” पर झूम गए, मर-मिटे। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश से भुखमरी भगाने के लिए।

आज के युग में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता भूख ने पाकिस्तान बना दिया और भारत शब्द को सांप्रदायिक कह कर देश का नाम इंडिया रख दिया। देश पर खून का एक कतरा बहाये बिना ईसाइयत थोप दी जबकि औरंगजेब को देश के इस्लामीकरण के लिए भारी कत्लेआम करना पड़ा फिर भी उसे आंशिक सफलता ही मिली जिसके आधार पर पाकिस्तान बना। जवाहरलाल ने अपनी चतुराई से हिंदुओं को अपनी जड़ों से काटने की भरपूर कोशिश की देश का नाम बदलकर। आज तक यह प्रश्न नहीं उठाया गया कि संविधान सभा को देश का नाम बदलने का अधिकार था या नहीं। कोई भी चुनी हुई संस्था देश नहीं हो सकती। यह भी तार्किक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता कि भारत से अलग हुआ एक भूखंड एक ही समय अपनी संविधान सभा में खुद को एक मजहबी राष्ट्र घोषित कर रहा है और उसके गॉडफादर को उसी समय अपनी संविधान सभा में अपनी जड़ों और पहचान खोने या काटने का ऐलान हो रहा है।

उत्तर- आपने वर्तमान परिस्थितियों का सही आकलन प्रस्तुत किया है लेकिन उसके कारण और समाधान बताने का प्रयास नहीं किया है। भारत के सभी राजनैतिक दल उद्दंड होते जा रहे हैं। उसका कारण है भारत का गलत संविधान। जिस समय संविधान बना था उस समय कोई बड़ी गलती नहीं थी लेकिन बाद में हमारे देश के राजनैतिक दलों ने संविधान को गुलाम बनाकर मनमाने बदलाव कर दिए। सारी समस्याओं का कारण यही है। इसी कारण से नेहरू और उनके परिवार भारत को एक सांप्रदायिक राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाने में सफल हुए। किसानों के मामले में भी आत्महत्याओं का कारण बैंक नहीं है, बल्कि कृषि उत्पादन पर अनेक प्रकार के लगाए गए टैक्स है। जिन टैक्सों के कारण किसान घाटे में जा रहे हैं। इस सारी अव्यवस्था का सिर्फ एक समाधान है कि संविधान तंत्र की गुलामी से मुक्त हो जाए।

जूम चर्चा कार्यक्रम

कल की चर्चा सभा में हम लोग परिवार की भूमिका पर विचार मंथन कर रहे थे। पिछले एक सप्ताह से हम लोगों ने धार्मिक विषय पर चर्चा किया। महाभारत, गीता, रामायण, उपनिषद, संगठनात्मक धर्म, आचरण प्रधान धर्म इत्यादि पर सभी साथियों ने अपने-अपने विचार रखें। धार्मिक चर्चाओं से संबंधित एक लेख में अलग से लिखूंगा जिसमें इन 7 दिनों की हुई चर्चा का सारांश उद्धृत करेंगे।

आज हम सिर्फ कल की चर्चा कार्यक्रम को संक्षेप में रखना चाहेंगे। कल हमारा विषय था - 'राज्यसभा का नाम परिवार सभा होना चाहिए क्योंकि परिवार सभा का चुनाव परिवारों द्वारा क्रमशः चुनी हुई प्रांतीय सभाएं करेंगे क्योंकि प्रांतीय सभा और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राजनीतिक आधार पर बनती है अतः परिवार सभा में राजनीति या राजनेताओं का प्रवेश नगण्य ही संभव होगा।' अंग्रेजों से 1947 में आजादी मिलते ही

राजनेताओं ने अपनी लोकप्रियता का नाजायज फायदा उठाया। सभी नेता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे अतः उनकी जनप्रियता और उनकी पहुंच समाज के अंतिम स्तर के लोगों तक थी। विशेष कर महात्मा गांधी जी सर्वप्रिय और सर्वमान्य नेता माने जाते थे। उन्होंने अपनी संकल्पना में ग्राम स्वराज लोक स्वराज को स्थान दिया था। वह चाहते थे कि भारत की शासन पद्धति लोकतांत्रिक आधार पर न होकर लोक स्वराज के आधार पर होनी चाहिए। व्यवस्था का दायित्व निचले क्रम से ऊपर उठाते हुए केंद्र तक विकेंद्रित होनी चाहिए। हर इकाइयों की अपनी स्वतंत्रता होगी और किसी अन्य इकाई को उसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होगा। सभी इकाइयां अनुशासित और मर्यादित होगी लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि सभी नेता अपनी लोकप्रियता का नाजायज फायदा उठाना चाहते थे। अतः वे सत्ता को इस तरीके से अपने हाथों में रखना चाहते थे कि कोई भी निकली इकाइयां स्वतंत्र ही ना रहे, बल्कि ऊपर की इकाइयों का गुलाम बन जाए। सत्ता सशक्तिकरण का भाव उनके बने संविधान और कानून में स्पष्ट देखा जा सकता है। सन 47 से वर्तमान कल तक पहुंचते हुए सत्ता ने बहुत कुछ देखा और बदला है। किस तरह से लोकतांत्रिक शासन को संसदीय शासन में बदल दिया गया। राष्ट्रपति और न्यायपालिका के अधिकार कम कर दिए गए। उनमें कटौती हुई - दल बदल कानून बनाकर सांसदों की स्वतंत्रता को बाधित किया गया। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र के प्रति उत्तरदाई ना होकर अब क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उन्होंने समाज की सबसे सशक्त इकाई परिवार को संविधान से बाहर कर दिया, उन्हें संवैधानिक मान्यता नहीं मिली। प्राय देखा जाता है कि 100 परिवार में से एक दो परिवार ही राजनीतिक परिवार होते हैं और बाकी परिवार किसी रोजगार, व्यवसाय या काम धंधे से जुड़े होते हैं। उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। राजनीतिक परिवार के भी सभी सदस्य राजनेताओं के चाल चलन से, उनकी आमदनी के स्रोत से वाकिफ होते हैं। वर्तमान समय में जो स्थिति है वह राजनेताओं की सत्ता चिरकाल तक बनी रहे, इसका पूरा-पूरा प्रबंध संविधान ने कर दिया है। आज संविधान सभा नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान सभा की जगह संसद ही विधायिका का काम करती है और कानून बनाती है, इसलिए मनमाना संशोधन करती है और मनमाफिक पूर्णतः बादल भी देती है। पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक के चुनाव में राजनीति की पूरी भागीदारी होती है। हमारे राजनेता लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसके अलावे उच्च सदन के नाम से राज्यसभा बनाई गई है। राज्यसभा राज्य अथवा समाज का प्रतिनिधित्व

करता है लेकिन राजनेताओं की नाकामी से राज्यसभा भी राजनीति का अखाड़ा बन चुका है इसलिए कोई भी सदस्य चाहे वह राज्यसभा के हो चाहे वह विधान परिषद के हो सभी राजनीतिक प्रेरित होते हैं। दोनों सदनों में से किसी एक सदन को समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। समाज की ओर से अपनी बात रखने वाला आज संसद में कोई भी नहीं है इसलिए जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का विचार था वह सत्ता विकेन्द्रीयकरण के लिए अति उत्तम है। उन्होंने ग्राम सभा, जिला सभा, प्रांत सभा और केंद्र सभा यानी राज्यसभा अथवा परिवार सभा की परिकल्पना की थी। विधायिका के पास केवल न्याय और सुरक्षा देने का दायित्व होता एवं उनके सारे अधिकार जो समाज सेवा या राहत से संबंधित थे वह राज्यसभा यानी परिवार सभा में हस्तांतरित होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया जिसकी वजह से आज समाज में इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। हम लोग जन जागरण अभियान चलाकर गांधी जी की अधूरी सोच को पूरा करना चाहते हैं।

संजय तांती ज्ञान यज्ञ परिवार, रामानुजगंज
छत्तीसगढ़

पत्र व्यवहार का पता

बजरंग लाल अग्रवाल पोस्ट बाक्स 15, रायपुर (छ.ग.) 492021

प्रकाशक, संपादक व स्वामी - बजरंगलाल

9617079344

website : margdarshak.info